IN THIS POLICY, INVESTMENT RISK IN THE INVESTMENT PORTFOLIO IS BORNE BY THE POLICYHOLDER

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart One Pay Plan, UIN 136L030V01

PART A

WELCOME LETTER

MR BAHADUR K KHOTE
FATHER's NAME : MR JAGGA K KHOTE
HGHHGF
FJH
F
CHAMBAKL
HARYANA - 121102
INDIA
Contact No.: 9876543210

Date: 26-02-2030

Client ID.	0484847550
Policy No.	0002691418
Proposal No.	2001200909

Your Branch Representative Details:	
Name	DIPALI DAYAL
Contact No.	1800-103-0003,1800-180-0003

Dear MR BAHADUR K KHOTE,

Welcome to the Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life family. We would like to congratulate you on purchasing Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart One Pay. Please note that this is a Single Premium Unit Linked Insurance plan.

This document is your policy contract and contains important information related to your policy. We would recommend that you read this document carefully to ascertain if the details mentioned are accurate.

If you wish to rectify any of the details provided by you in the policy, then please get in touch with our **Resolution center: 1800-103–0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL users) or your bank branch representative.** You can also **SMS us at 9779030003** or write to us at customerservice@canarahsbclife.in and our representative will contact you at your convenience.

We are confident that our product will meet your requirements, however in case the policy terms and conditions are not agreeable to you then you can opt for a cancellation of your policy. If you decide to opt for cancellation, we would request you to send back this policy contract along with the reason for non-acceptance within 15 days of receipt of the policy document or 30 days in case the policy is sourced through Distance Marketing mode. In case you opt for cancellation within the said period you will receive the Fund Value and any unallocated premium along with the charges deducted by cancellation of units. This amount will be paid subject to deduction of the proportionate risk related charges, stamp duty and medical expenses, if any. Please note that this facility is available only at the first instance, on receipt of the original policy pack, and will not apply to duplicate policy packs issued by the Company on your request.

As an added convenience for you, we offer an easy-to-navigate online system to manage your policy. Log on to our website www.canarahsbclife.com and register to start using this service.

In case of any claim related matters, You or the Claimant may contact us at **Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited,** Unitech Trade Centre, 2nd Floor, C-Block, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon -122009 Haryana, India. You can also get in touch with us on 1800-103-0003 /1800-180-0003 (BSNL/MTNL) or SMS us at 9779030003 or write to us at customerservice@canarahsbclife.in

Thank you for giving us the opportunity to service your Insurance needs and we will ensure we are here to fulfill all your policy servicing needs.

Yours Sincerely,

Chirag Jain
Chief Operating Officer

कैनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वन पे प्लान

यूआइएन -136L030V01

भाग क

अभिनंदन पत्र

MR BAHADUR K KHOTE
FATHER's NAME : MR JAGGA K KHOTE
HGHHGF
FJH
F
CHAMBAKL
HARYANA - 121102
INDIA
दूरभाष नं.: 9876543210

तिथि: 26-02-2030

ग्राहक आईडी	0484847550
बीमा संख्या	0002691418
प्रस्ताव संख्या	2001200909

आपके बैंक प्रतिनिधी का विवरण:	
नाम	DIPALI DAYAL
दूरभाष	1800-103-0003,1800-180-0003

प्रिय MR BAHADUR K KHOTE,

केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स लाइफ परिवार में आपका स्वागत है । हम आपको Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart One Pay खरीदने की बधाई देते हैं। कृपया नोट करें कि यह "सिंगल प्रीमियम" यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है ।

यह दस्तावेज आपके बीमे का अनुबंध है जिसमें आपकी पॉलिसी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना शामिल हैं।हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया दस्तावेज का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और विवरण की जांच कर लें कि वो सही हों।

यदि आप बीमा में आपके द्वारा मुहैया कराए गए विवरण में कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो कृपया इसकी सूचना हमारे समाधान केन्द्र को **1800-103-0003/1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ता)** पर संपर्क करें या आपके बैंक के प्रतिनिधी को दें । आप हमें **9779030003** पर एसएमएस कर सकते हैं या customerservice@canarahsbclife.in पर हमें लिख सकते हैं, हमारा प्रतिनिधी आपकी सुविधा अनुसार आपको संपर्क करेगा।

हमें विश्वास हैं कि यह पॉलिसी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, परन्तु अगर आप बीमा के नियम और शर्तों से सहमत नहीं हैं तो आप केन्सलेशन के विकल्प का चुनाव कर इसे बंद कर सकते हैं । यदि आप रद्द करने का निर्णय लेते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पॉलिसी दस्ताहवेज प्राप्ते होने के 15 दिन या 30 दिन के अंदर अस्वीककार्यता के कारण सहित यह पॉलिसी संविदा हमें वापस भेज दें, यदि दूरस्थप विपणन विधि से पॉलिसी भेजी गई है। यदि आप कथित अवधि के अंदर रद्द करने का विकल्पद अपनाते हैं तो आप को विधि मूल्यण तथा यूनिट रद्द करने से काटे गए प्रभार के साथ अनाबंटित प्रीमियम मिलेगा। यह राशि आनुपातिक जोखिम संबंधी शुल्कों, स्टैंप शुल्क और चिकित्सीय खर्च, यदि कोई हो, की कटौती के अधीन होगी । कृपया नोट करें कि यह सुविधा मूल बीमा दस्तावेज़ प्राप्त होने पर केवल प्रथमत: उपलब्ध होगी, और यह आपके अनुरोध पर कंपनी द्वारा जारी डुप्लिकेट बीमा दस्तावेज़ पर लागू नहीं होगी ।

आपको एक और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हम पॉलिसी का प्रबंधन करने के लिए नेवीगेट करने में आसान ऑनलाइन सिस्टम की भी पेशकश करते हैं। इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.canarahsbclife.com पर लॉग ऑन करके इस पर अपना पंजीकरण कराएं।

दावे से संबंधित किसी मामले के स्थिति में आप या आपका दावेदार केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सुशांत लोक, फेस-1, सैक्टर-43, गुड़गांव-122009, हरियाणा, भारत के पते पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें 1800-103-0003 /1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल) पर कॉल या 9779030003 पर एसएमएस कर सकते हैं या customerservice@canarahsbclife.in पर लिखकर भी संपर्क कर सकते हैं।

हम आपकी पॉलिसी सेवा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं।

धन्यवाद,

चिराग जैन
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर

Policy Preamble:

This policy document evidences a legal contract between the Policyholder and Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited which has been concluded on the basis of Your statements and declarations in the proposal form and other documents evidencing insurability of the Life Assured. This is a Single Premium Unit Linked policy which enables You/the Claimant to receive benefits as per this policy and participate in the investment performance of the fund to the extent of units allocated against the Single premium paid. This policy does not confer a right on You to participate/share the profits or surplus of the business of the Company.

These terms and conditions are divided into numbered clauses for ease of reference and reading. These divisions and the corresponding clause headings do not limit the Policy or its interpretation in any way. References to any Act, regulation, guidelines etc shall include subsequent changes to the same. All references to 'age' shall refer to age as per the last birthday. The terms 'you', 'your' used in this document refer to the Policyholder. 'We', 'us' 'Company' or 'our' refers to Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited. The word "Authority" would refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

पॉलिसी प्रस्तावना :

यह पॉलिसी दस्तावेज पॉलिसीधारक और केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक कानूनी अनुबंध को प्रकट करता है जिसे प्रस्ता:व के रूप में आपके वक्तAव्योंn और घोषणाओं तथाबीमित जीवन के बीमा योग्य होने के साक्ष्य को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के आधार पर संपन्न किया गया है। यह एक सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंक्ड पॉलिसी है जो आपको/दावेदार को पॉलिसी के अनुसार लाभ उठाने और चुकाए गए सिंगल प्रीमियम के लिए आबंटित यूनिट्स की सीमा तक धन को निवेश प्रदर्शन में भाग लेने के योग्य बनाती है। यह पॉलिसी आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं देती कि आप कंपनी के व्यापार के लाभों या अधिशेषों में भागीदारी/साझा कर सकें।

संदर्भ और पढ़ने की आसानी के लिए शर्तों और निबंधनों को संख्याव वाली शर्तों में विभाजित किया गया है। यहविभाजन और तद्अनुसार क्लॉज शीर्षक किसी भी तरह से पॉलिसी या इसकी व्याख्या को सीमाओं में नहीं बांधता। किसी अधिनियम, विनियम, मार्गदर्शन आदि के संदर्भों में इनके परिवर्तन शामिल होंगे। आयु के लिए सभी संदर्भ अंतिम जन्मदिन के अनुसार आकलित आयु के लिए होंगे। दस्तावेज में 'आप', 'आपका' के लिए प्रयुक्त शब्दावली पॉलिसीधारक के लिए होगी और इसमें पॉलिसीधारक के जीवन के बीमित न होने के मामले में लाभों के भुगतान के उद्देश्य के लिए नॉमिनी/दावेदार शामिल होंगे। 'हम', 'हमारे', 'कंपनी' या 'हमारा' का अभिप्राय केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से होगा। शब्दल'प्राधिकरण' अर्थात् भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) है।

POLICY SCHEDULE / बीमा अनुसूची

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (the Company) has received a Proposal and single premium from the Policyholder. The Proposal and declaration along with statements, reports or other documents leading to the issuance of this policy has been accepted by the Company and the Policyholder as the basis of this contract. This contract will be valid in consideration of the terms and conditions of this Policy or any riders attached and any endorsements made. The Company shall pay relevant benefits and other amounts that become payable upon occurrence of one or more events mentioned in this Policy on receipt of proof that is satisfactory to the Company. The date of commencement of risk under this policy is as mentioned below.

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) को बीमाधारक से प्रस्ताव और प्रथम प्रीमियम प्राप्त हुआ है। विवरणों, रिपोर्ट या इस बीमा को जारी करने से संबंधित अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्ताव, घोषणा और पॉलिसीधारक को कंपनी द्वारा इस अनुबंध के आधार पर स्वीकार कर लिया गया है ।यह अनुबंध इस पर विचार और नीचे दिए गए भावी प्रीमियमों की प्राप्ति, बीमा के नियम और शर्तों या संलग्न कोई अन्य राइडर और किए गए किसी पृष्ठांकन के अध्यधीन होगी।कंपनी संगत लाभों और अन्य राशियों का भुगतान करेगी जो बीमा में दिए गए किसी एक या अधिक घटनाओं के घटित होने पर साक्ष्य द्वारा कंपनी को संतुष्ट करता हो । इस बीमा के तहत जोखिम के आरंभ होने की तिथि का उल्लेख नीचे किया गया है।

	Policy Holder Details / **बीमाधारक का विवरण**	Life Assured Details / **बीमाकृत व्यक्ति का विवरण**
Name / नाम	MR BAHADUR K KHOTE	MR VIJU K KHOTE
Date of Birth / जन्म तिथि	30-04-1980	01-06-2006
Age / आयु	34	7
Gender / लिंग	MALE	FEMALE

Policy Schedule Details / **बीमा अनुसूची का विवरण**

Policy Number / बीमा संख्या	0002691418
Plan Name / प्लान का नाम	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart One Pay
Plan Type / प्लान का प्रकार	Individual / Unit-linked / Non Participating / Life / Single Premium Endowment
Policy Term (Years) / बीमा अवधि (वर्ष)	15
Premium Paying Term (Years) / प्रीमियम भुगतान करने की अवधि (वर्ष)	Single Premium / सिंगगल भुगतान
Single Premium [1](₹) / प्रीमियम की किस्त **(₹)[1]**	1,00,000.00
Age Admitted / स्वीकृत आयु	Yes
Risk Commencement Date /जोखिम प्रारंभ होने की तिथि	04-05-2014
Policy Commencement Date / बीमा प्रारंभ होने की तिथि	04-05-2014
Premium Payment Frequency / प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति	SINGLE PREMIUM / सिंगगल भुगतान
Next Premium Due Date / अगली प्रीमियम की देय तिथि	NOT APPLICABLE / लागू नहीं है
Last Premium Due Date / अंतिम प्रीमियम की देय तिथि	NOT APPLICABLE / लागू नहीं है

Benefit Coverage Details / **आने वाले लाभों का विवरण**

Sum Assured (₹) / बीमाकृत रकम **(₹)**	1,25,000.00
Maturity Date / परिपक्वता तिथि	04-05-2029
Safety Switch / सेफ्टी स्विच	Not Chosen
Auto Funds Rebalancing / ऑटो फंड्स रीबैलेंसिंग	Not Chosen

Nominee Details* / **नामिति का विवरण***

Name / नाम	**Gender / लिंग**
-	-

*Nominee details under section 39 of Insurance Act, 1938 as amended from time to time / *समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 के खंड 39 के तहत नामिति का विवरण ।

[1]Service tax and other taxes/cess as applicable from time to time is included in the premium/charges paid by the policyholder./[1]**सेवा कर और समय समय पर लागू अन्य कर / शुल्क पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम / प्रभारों में शामिल किए गए हैं।**

"On Examination of the Policy, if the Policyholder notices any mistake, the Policy Bond is to be returned for correction to the Insurer"
''पॉलिसी की जांच के दौरान ,अगर पॉलिसीधारक को कोई त्रुटि नज़र आती है तो पॉलिसी बॉंड में इस त्रुटि को सही करने के लिए इसे बीमाकर्ता को लौटाया जाना चाहिए।''

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co Ltd. IRDAI Registration no: 136
Registered Office: C31 & C32, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001
Corporate Office: Unitech Trade Centre, 2nd Floor, C – Block, Sushant Lok,
Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई पंजी सं : 136
पंजीकृत कार्यालय : सी 31 और सी 32, पहला तल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली - 110001
कॉर्पोरेट कार्यालय - यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरा तल, सी ब्लॉटक, सुशांत लोक
फेस-1, सेक्टऑर-43, गुड़गांव - 122009, हरियाणा, भारत

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart One Pay Plan is an investment cum protection oriented, Unit linked, Single Premium, non-participating insurance product
कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वन पे प्लान एक निवेश सह सुरक्षा उन्मुख़ यूनिट लिंक्ड, एकल प्रीमियम, गैर भागीदारी बीमा प्रोडक्ट है।

STATEMENT OF ACCOUNT / खाते का विवरण

Policyholder 's Name / बीमाधारक का नाम	MR BAHADUR K KHOTE
Policy Number / बीमा संख्या	0002691418
Transaction Date / लेन-देन की तिथि	04-05-2014

Charges Deducted / घटित प्रभार

Single Premium (₹) / सिंगगल प्रीमियम (₹)	1,00,000.00
Premium Allocation Charge (₹) / प्रीमियम आबंटन प्रभार (₹)	3,000.00
Net Premium Invested (₹) / निवेश किया गया शुद्ध प्रीमियम (₹)	96,629.20
Administration Charge (₹) / प्रशासन प्रभार (₹)	30.00
Mortality /Risk Charge (₹) / मृत्यु प्रभार(₹)	6.67
Service Tax (₹) / सेवा कर (₹)	375.34

Fund Details* / फंड का विवरण*

Name of Fund / फंड का नाम	Initial Fund allocation / प्रारंभिक फंड आबंटन	No. of Units / यूनिटों की संख्या	NAV (₹) / एनएवी (₹)	Amount (₹)/राशि (₹)
Equity II Fund / इक्विटि II फंड	0.0%	0.0000	67.3700	0.00
Growth Plus Fund / ग्रोथ प्लस फंड	10.0%	135.3342	71.3700	9,658.80
Balanced Plus Fund / बैलेंस्ड प्लस फंड	60.0%	860.2165	67.3700	57,952.79
Debt Plus Fund / डेब्ट प्लस फंड	0.0%	0.0000	64.3700	0.00
Liquid Fund / लिक्विड फंड	30.0%	430.1083	67.3700	28,976.40
Total Fund Value(₹) / कुल फंड मूल्य(₹)	100.0%	As on date: 04-05-2014		96,587.99

*SFIN (Segregated Fund Index Number) / सेग्रगैटिड फंड इन्डेक्स नंबर - Equity II Fund / इक्विटि II फंड: ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, Growth Plus Fund / ग्रोथ प्लस फंड: ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, Balanced Plus Fund / बैलेंस्ड प्लस फंड: ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, Debt Plus Fund / डेब्ट प्लस फंड: ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, Liquid Fund / लिक्विड फंड: ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, & Discontinued Policy Fund / डिस्कन्टिन्यूड बीमा फंड ULIF01319/09/11POLDISCFND136.

This is a computer generated statement and does not require signature. / यह कंप्यूटर से तैयार किया गया दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।

PREMIUM RECEIPT / प्रीमियम रसीद

Receipt Number / रसीद संख्या: F100004219 **Date / तिथि: 04-05-2014**

Policy Number / बीमा संख्या	0002691418
Policy Holder / बीमाधारक	MR BAHADUR K KHOTE
Plan Name / योजना का नाम	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart One Pay
Life Assured / बीमाकृत व्यक्ति	MR VIJU K KHOTE
Premium Payment Frequency / प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति	SINGLE PREMIUM / सिंगगल भुगतान
Sum Assured (₹) / बीमाकृत रकम (₹)	1,25,000.00

Payment Related Information / भुगतान संबंधी सूचना

Single Premium (₹)* / सिंगगल प्रीमियम (₹)*	1,00,000.00
Total Premium Received (₹) / कुल प्राप्त प्रीमियम (₹)	1,00,000.00
Balance Premium (₹) / शेष प्रीमियम (₹)	0.00
Next Premium Due Date / अगले प्रीमियम की देय तिथि	NOT APPLICABLE / लागू नहीं है

* You may be entitled for tax benefits under Section 80C as per the Income tax Act, 1961. Tax Benefits under the policy will be as per the prevailing Income Tax laws and are subject to amendments from time to time. For tax related queries, contact your independent tax advisor. The amount indicated as balance premium, if any, will not earn any interest and will be refunded. Service Tax registration no. AADCC1881FST001.

The Single Premium received by the Company, after deducting applicable Premium Allocation Charges and applicable service tax and education cess, has been allocated to the funds in the percentage indicated above. Service tax & educational cess are applicable as per the prevailing tax laws, which is subject to change. For tax related queries, please contact your tax consultant.

The commencement of risk in the policy is subject to realization of funds by the company.

*आप आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार खंड 80सी के अंतर्गत कर लाभ के पात्र हो सकते हैं । पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ प्रचलित आयकर कानून और समय समय पर किए जाने वाले संशोधन पर निर्भर हैं। कर संबंधी जानकारी के लिए, कृप्या अपने स्वतंत्र कर सलाहकार से संपर्क करें। शेष प्रीमियम के रूप में इंगित राशि, यदि कोई, पर कोई ब्याsज अर्जित नही होगा और इसे वापस किया जाएगा। सेवा कर रजिस्ट्रेशन संख्या AADCC1881FST001.

कंपनी को प्राप्त हुआ सिंगल प्रीमियम, कुल कर, यदि कोई हो, और लागू प्रीमियम आ बंटन प्रभारों और लागू सेवा कर और शिक्षा उप कर को काटने के बाद, बताए गए प्रतिशत के अनुसार फंड में आबंटित किया गया है। सेवा कर और शिक्षा उपकर प्रचलित कर कानूनों के अनुसार लागू हैं, जो बदले जा सकते हैं। कर संबंधी पूछताछ के लिए कृपया अपने कर परामर्शदाता से संपर्क करें।

पॉलिसी का जोखिम कंपनी द्वारा निधि की वसूली के अधीन आरंभ होता है।

ENDORSEMENTS / **पृष्ठांकन**

Total Stamp Value (₹) 25.00 /-

कुल मुद्रांक मूल्य (₹) 25.00 /-

“The appropriate stamp duty towards this policy is paid"
"इस पॉलिसी की उचित स्टैम्प ड्यूटी अदा हो चुकी है "

ENDORSEMENTS / **पृष्ठांकन**

PART B / **भाग ख**

GLOSSARY OF IMPORTANT TECHNICAL AND LEGAL TERMS IN AN INSURANCE POLICY

एक बीमा पॉलिसी में महत्वपूर्ण तकनीकी और कानूनी पदों की शब्दावली

This document aims to explain certain technical and legal terms of the insurance policy in a simple and easy language. इस दस्तावेज का लक्ष्य बीमा पॉलिसी के कुछ तकनीकी और कानूनी पदों को एक सरल और आसान भाषा में समझाना है।

Age (Last Birthday) आयु (पिछला जन्मदिन)	The Life Assured/ Policyholder's age at his/her last birthday, as on date of commencement of policy. पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि के आधार पर उसकी/उसके पिछले जन्मदिन पर बीमित/पॉलिसीधारक की उम्र।
Assignment & Assignee समनुदेशन और समनुदेशिती	Assignment is a method by which the Policyholder can transfer his/her interest in the Policy to another person. An assignment can be made by an endorsement on the policy document or as a separate deed. Assignment can either be absolute, partial or conditional. Assignee is the person to whom the rights and benefit are transferred by virtue of assignment in accordance with Section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. समनुदेशन वह विधि है जिसके जरिए पॉलिसी धारक एक अन्य व्यक्ति को पॉलिसी के लाभ अंतरित कर सकता है। एक समनुदेशन पॉलिसी दस्तावेज या एक पृथक विलेख पर पृष्ठांकन द्वारा किया जा सकता है। समनुदेशन परम, आंशिक या शर्तयुक्त हो सकता है। समनुदेशिती वह व्यक्ति है जिसे समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार समनुदेशन द्वारा अधिकारों और लाभों का अंतरण किया जाता है।
Business Day व्यापार दिवस	Days other than holidays where stock exchanges with nation wide terminals are open for trade (other than day on which exchanges are open for testing) or any day declared by the Authority as Business Day.; अवकाशों के अलावा अन्य दिन जब राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों के साथ स्टॉक एक्सचेंज व्यापार के लिए खुले हैं (उन दिनों के अलावा, जब एक्सचेंज परीक्षण के लिए खुले हैं) या प्राधिकरण द्वारा व्यापार दिवस के रूप में घोषित कोई दिन;
Claimant दावेदार	Claimant means the Policyholder, however for the purposes of payment of death benefit Claimant means the following person(s):- (i) Where the Policyholder and Life Assured are different, Claimant shall be the Policyholder (ii) Where Policyholder and Life Assured are same, Claimant shall be the Nominee (s) (iii) Where Policyholder and Life Assured are same and there is no Nominee(s), then Claimant shall be the Policyholder's legal heir or legal representative or the holder of a succession certificate. दावेदार का अर्थ है पॉलिसीधारक, जबकि मृत्यु लाभ के भुगतान के प्रयोजन हेतु दावेदार का अर्थ है निम्नलिखित व्यक्ति : (i) जहां पॉलिसी धारक और बीमित व्यक्ति अलग अलग है, दावेदार पॉलिसी धारक होगा (ii) जहां पॉलिसी धारक और बीमित व्यक्ति एक है, दावेदार नामांकित व्यक्ति होगा (iii) जहां पॉलिसी धारक और बीमित व्यक्ति समान है, और कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो दावेदार पॉलिसी धारक का कानूनी वारिस या कानूनी प्रतिनिधि या उत्तरवर्ती प्रमाण पत्र धारक होगा
Date of Surrender of the Policy पॉलिसी अभ्यर्पण की तिथि	The date on which we receive the communication from Policyholder requesting for surender of the policy. वह तिथि जब हमें पॉलिसी धारक से पॉलिसी अभ्यर्पण का अनुरोध मिलता है।
Discontinued Policy Fund (ULIF01319/09/11POLDISCFND136) बीच में रोकी गई पॉलिसी फण्ड (ULIF01319/09/11POLDISCFND136)	The segregated fund maintained by the Company into which Fund Values under policies which are surrendered during the Lock-in Period are credited subject to deduction of Surrender Charges as applicable, to be paid out to the respective Policyholders on expiry of the Lock-in Period, except in case of death of the Life Assured in which case the benefits as per clause 1.1 (b) shall stand payable immediately. The Company shall levy Fund Management Charges as mentioned in clause 3.1. The amounts credited to the Discontinued Policy Fund shall earn atleast the Minimum Guaranteed Interest Rate. कंपनी द्वारा अलग रखा गया फण्ड, जिसमें पॉलिसी के तहत निधि मूल्य, जिसका अभ्यर्पण किया जाता है या जहां लॉक इन अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान लागू अभ्यर्पण प्रभारों के अधीन, लॉक इन अवधि के समाप्त होने पर संबंधित पॉलिसी धारकों को भुगतान के लिए अभ्यर्पित किया जाता है, सिवाए बीमित व्यक्ति की मौत के, जिस मामले में लाभ खण्ड 1.1 (ख) के अनुसार तत्काल देय होगा। खण्ड 3.1 में उल्लिखित निधि प्रबंधन प्रभारों की वसूली कंपनी द्वारा की जाएगी। रोकी गई पॉलिसी की निधि की राशि से कम से कम न्यूनतम गारंटी ब्याज दर अर्जित की जाएगी।
Exclusions निष्कासन	Specific conditions or circumstances for which the policy shall not provide any benefits. विशेष शर्तें या परिस्थितियां जिनके लिए पॉलिसी में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

Fund Value निधि मूल्य	At any point in time, the total number of Units under the policy multiplied by the applicable Unit Price. किसी समय पॉलिसी के तहत आने वाली यूनिटों की कुल संख्या को लागू यूनिट मूल्य से गुणा किया जाए।
Lock-in Period लॉक- इन अवधि	The period of five consecutive years from the Policy Commencement Date during which no benefits shall be payable under this policy, except in case of death of the Life Assured. पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से लगातार 5 वर्ष की अवधि, जिसके दौरान इस पॉलिसी के तहत कोई लाभ देय नहीं होंगे, सिवाए जीवन बीमा कराने वाले व्यक्ति की मौत होने के अलावा।
Maturity benefit परिपक्वता लाभ	The amount payable to the policyholder at the end of the stipulated term of the policy is called maturity benefit. पॉलिसी की निर्धारित अवधि के अंत में पॉलिसी धारक को देय राशि परिपक्वता लाभ कहलाती है।
Maturity परिपक्वता	It is the date on which the specified Maturity benefits is payable in accordance with the terms and conditions of the policy. वह तिथि जिस पर पॉलिसी की शर्तों और निबंधनों के अनुसार निर्धारित परिपक्वता लाभ देय होते हैं।
Minimum Guaranteed Interest Rate न्यूनतम गारंटी ब्याज दर	The minimum guaranteed rate applicable to Discontinued Policy Fund as declared by the Authority from time to time. The current minimum guaranteed interest rate is 4% per annum. प्राधिकरण द्वारा समय समय पर घोषित बंद पॉलिसी निधि पर न्यूनतम गारंटी दर लागू करें। वर्तमान लागू ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।
Misrepresentation गलत निरूपण	Act of making any kind of statement that does not in fact reflect its true nature. किसी प्रकार का वक्तव्य बनाना जिसमें वास्तव में कोई सत्य तथ्य प्रदर्शित नहीं हो।
Net Asset Value ("NAV") निवल परिसंपत्ति मूल्य ("एनएवी")	The market value of investments held under the Unit Linked Fund plus the value of any current assets and any accrued income net of Fund Management Charges (including any applicable Service Tax and any other taxes/cess as applicable thereon) less the value of any current liabilities and provisions, if any. यूनिट लिंक्ड फंड के तहत निवेशों के बाजार मूल्य के साथ किसी वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य तथा निधि प्रबंधन प्रभारों की प्रोद्भूत निवल आय (इस पर किसी लागू सेवाकर सहित) में से वर्तमान देयताओं और प्रावधानों का मूल्य घटाएं, यदि कोई हों।
Nomination नामांकन	An act by which the life Assured authorizes another person(s) to receive the policy proceeds in the event of his/her death. The person(s) so authorized is/are called the “Nominee(s)”. Nomination shall be in accordance with Section 39 of the Insurance Act 1938 as amended from time to time. एक गतिविधि जिसके द्वारा बीमा कराने वाले व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को उसकी मौत होने पर पॉलिसी के लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत बनाता है। इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति को "नामांकित व्यक्ति" कहते हैं। नामांकन समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार होगा।
Nominee(s) नामांकित व्यक्ति	The person(s) named in the policy who is/are entitled to receive the insurance proceeds upon the death of the Life Insured. पॉलिसी में दिए गए व्यक्तियों के नाम जिन्हें बीमा कराने वाले व्यक्ति / बीमित व्यक्ति की मौत होने पर पॉलिसी के लाभ प्राप्त करने की पात्रता है।
Policy Month पॉलिसी माह	One month period commencing from the Policy Commencement Date and each subsequent month thereafter during the Policy Term. The Policy Month may be different from the calendar month. पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से आरंभ एक माह की अवधि और पॉलिसी की अवधि के दौरान अगले प्रत्येक माह। पॉलिसी माह कैलेण्डर माह से अलग हो सकता है।
Policy Year पॉलिसी वर्ष	The 12 consecutive months period commencing from the Policy Commencement Date and ending on the day immediately preceding the first policy anniversary and each subsequent period of 12 consecutive months thereafter during the policy term. पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से आरंभ होने वाले 12 कैलेण्डर माह और पॉलिसी की प्रथम वर्ष गांठ से ठीक पहले दिन को समाप्त और पॉलिसी की अवधि के दौरान इसके बाद अगले लगातार 12 माह की अवधि।
Policyholder पॉलिसी धारक	Policyholder is the owner of the Policy at any given point in time. पॉलिसी धारक एक दिए गए समय पर पॉलिसी का स्वामी है।
Policy Term पॉलिसी अवधि	Policy term is the period for which insurance coverage is given. पॉलिसी अवधि वह अवधि है जिसके लिए बीमा कवरेज दिया जाता है।
Premium प्रीमियम	The amount payable by the Policyholder to the Insurance Company in exchange for the insurer's obligation to pay benefits upon the occurrence of the contractually-specified contingency (e.g., death). पॉलिसी धारक द्वारा संविदात्मक रूप से निर्दिष्ट आकस्मिकता (उदाहरण के लिए मौत) होने पर बीमा कराने वाले व्यक्ति को लाभों के भुगतान की बाध्यता के बदले बीमा कंपनी को देय राशि।

Proposal Form प्रस्ताव प्रपत्र	It is an application form which is to be completed and signed by the proposer/Life Assured for securing an insurance policy and forms the basis for issuance of the Policy. यह एक आवेदन पत्र है जिसे बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रस्तावक / जीवन बीमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाता है तथा यह पॉलिसी जारी करने का आधार बनाता है।
Proceeds of the Discontinued Policy Fund रोकी गई पॉलिसी निधि की प्राप्तियां	The Fund Value (less applicable Discontinuance Charges) of the respective Policyholder as on the date of surrender of the policy after addition of interest computed at the interest rate earned on the Discontinued Policy Fund subject to the Minimum Guaranteed Interest Rate. The excess income earned in the Discontinued Policy Fund over and above the Minimum Guaranteed Interest Rate shall also be apportioned to the Discontinued Policy Fund in arriving at the proceeds of the discontinued policies and shall not be apportioned to the Shareholders of the Company. रोकी गई पॉलिसी निधि पर अर्जित ब्याज दर पर गणना किए गए ब्याज को जोड़ने के बाद रोकने की तिथि से संबंधित पॉलिसी धारक का निधि मूल्य (इसमें रोकने के प्रभार घटाएं) जो न्यूनतम गारंटी ब्याज दर के अधीन है। न्यूनतम गारंटी ब्याज दर से अधिक रोकी गई पॉलिसी पर अर्जित अतिरिक्त कमाई को भी रोकी गई पॉलिसी की प्राप्तियों को ज्ञात करने में रोकी गई पॉलिसी निधि से विभाजित किया जाएगा और इसे कंपनी द्वारा विभाजित नहीं किया जाएगा।
Risk जोखिम	The obligation assumed by the insurer when it issues a policy. पॉलिसी जारी कराने पर बीमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा ली गई बाध्यता।
Single Premium सिंगल प्रीमियम	The premium payable at the start of the policy with no further obligations. पॉलिसी आरंभ करने के समय अगली बाध्यता के बिना देय प्रीमियम।
Sum Assured बीमित राशि	Sum assured is the minimum amount that an insurer agrees to pay on the occurrence of a stated contingency (e.g. Death of the Life Assured) subject to terms and conditions of the policy. बीमित राशि वह न्यूनतम राशि है जो बीमा कराने वाला एक व्यक्ति पॉलिसी की शर्तों और निबंधनों के अधीन एक बताई गई आकस्मिकता (उदाहरण के लिए जीवन बीमा कराने वाले व्यक्ति की मौत) होने पर भुगतान करने के लिए सहमत होता है।
Surrender value अभ्यर्पण मूल्य	The value payable to the policyholder in the event of his/her deciding to terminate the policy before the maturity of the policy, subject to terms and conditions of the policy पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले पॉलिसी समाप्त करने का निर्णय लेने पर पॉलिसी की शर्तों और निबंधनों के अधीन देय राशि
Underwriting जोखिम अंकन	The process of evaluating risks for insurance and determining in what amounts and on what terms the insurance company will accept the risk. बीमा के लिए जोखिमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और निर्धारित करना कि बीमा कंपनी कितनी राशि और किन शर्तों पर जोखिम को स्वीकार करेगी।
Unit इकाई	A portion or part of the underlying segregated Unit Linked Fund. अंतरनिहित पृथक यूनिट लिंक्ड फंड का भाग या हिस्सा।
Unit Price इकाई मूल्य	The price of each Unit under a fund arrived at by dividing the NAV by the total number of outstanding units in the respective Unit Linked Fund. संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड में एनएवी को बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त प्रत्येक यूनिट के मूल्य।

The Terms '**Risk Commencement Date**', '**Policy Commencement Date**', '**Maturity Date**', '**Sum Assured**', '**Single Premium**', '**Life Assured**', '**Policyholder**', '**Policy Term**', '**Premium Paying Term**', '**Nominee**' and '**Appointee**' shall mean the respective dates, amount or names mentioned against each of them in the Policy Schedule and the term insurer shall mean Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited. The term Life Assured and Life Insured have been used interchangeably and represent the same person.
पद **'जोखिम आरंभ होने की तिथि'**, **'पॉलिसी आरंभ होने की तिथि'**, **'परिपक्वता की तिथि'**, **'बीमित राशि'**, **'एकल प्रीमियम'**, **'बीमित जीवन'** **'पॉलिसीधारक'** **'पॉलिसी की शर्त'**, **प्रीमियम भुगतान अवधि'**, **'नामांकित'** का अर्थ क्रमशः पॉलिसी अनुसूची में बताई गई क्रमशः तिथियां, अवधि, राशि या नाम होंगे और केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ कंपनी लि. का अर्थ बीमा करने वाली कंपनी होगी। बीमा कराने वाले व्यक्ति और बीमित जीवन को आपस में बदला जा सकता है और यह एक ही व्यक्ति है।

PART C

1. Benefits under the Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart One Pay Plan

1.1 Death Benefit

(a) If the death of the Life Assured occurs on or after the Risk Commencement Date during the policy term while the policy is in force and not been surrendered and the claim is admitted, we will pay to the Claimant higher of the following as Death Benefit:

(i) Sum Assured less Partial Withdrawals (if any) made during the two years period immediately preceding death of the Life Assured.
In case Life Assured is aged 60 years or more at the time of Death, then all the partial withdrawals made after the Life Assured reaches 58 years of age would be deducted; OR

(ii) Fund Value as on the date of the registration of death claim with us; OR

(iii) 105% of Single Premium

(b) In case of death of the Life Assured while the Fund Value of Your policy is held in Discontinued Policy Fund, the Proceeds of the Discontinued Policy Fund as on the date of registration of death claim shall be payable to the Claimant.

(c) Death benefit in case of suicide shall be governed by the terms and conditions stated under suicide clause in Part F. This policy shall terminate on payment of the above benefits, or on our communicating the decision not to pay benefits under this policy as per the terms and conditions in line with applicable law.

Requirements for Death Benefit Claims

Refer Claims Procedures mentioned under “Part F”.

1.2 Loyalty Additions

Subject to the Policy being in force the Company shall credit the additional units in the Policyholder's unit account in the form of Loyalty Additions at the end of every policy month starting from the 61st Policy Month till 120th Policy Month at 0.025% of the Fund Value and from 121st month till end of Policy Term at 0.06% of the Fund Value. The Loyalty Additions will be determined as percentage of the Fund Value on the last day of every policy month. Loyalty Additions once added to the Fund Value are guaranteed.

1.3 Maturity Benefit

If the Life Assured survives till the Maturity Date, the Company shall pay the Maturity Benefit to the Policyholder which shall be equivalent to the Fund Value as on the Maturity Date. The Policyholder shall have the option to receive the entire Maturity Benefit through structured payouts over a period not exceeding five (5) years as per the Settlement Option as defined under clause 2.6.

1.4 Non Zero Positive Claw-back Additions

Non Zero Positive Claw-back additions shall be credited to the Policy after completion of first five Policy years in line with Regulation 37 of IRDA (Linked Insurance Products) Regulations, 2013 as modified from time to time. This shall not be applicable in case the Fund value is in the Discontinued Policy Fund at the time of credit.

भाग ग

1. **कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक के कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वन पे प्लान के तहत लाभ**

1.1 मृत्यु पर लाभ

(क) बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर या पॉलिसी के जारी रहने के दौरान पॉलिसी अवधि के बीच जोखिम आरंभ होने की तिथि के बाद जब पॉलिसी को अभ्यर्पित नहीं किया जाता है और दावा पेश किया जाता है तो हम दावेदार को निम्नलिखित मृत्यु लाभों से अधिक का भुगतान करेंगे :

(i) बीमित राशि में से बीमित व्यक्ति की मौत के ठीक पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान किए गए दो आंशिक आहरण (यदि कोई हो) घटाए जाएं।

(ii) यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की आयु मौत के समय 60 वर्ष या इससे अधिक है तो बीमित व्यक्ति की आयु 58 वर्ष पहुंचने के बाद किए गए सभी आंशिक आहरण की कटौती की जाएगी; या हमारे पास मृत्यु के दावे की पंजीकरण तिथि के अनुसार निधि मूल्य; या

(ii) एकल प्रीमियम का 105 प्रतिशत

(ख) आपकी पॉलिसी में निधि मूल्य को पॉलिसी समापन निधि में रखे जाने पर बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर पॉलिसी समापन निधि की प्राप्तियां मृत्यु के दावे के पंजीकरण की तिथि के अनुसार दावेदार को देय होंगी।

(ग) आत्म हत्या के मामले में भाग एफ में आत्म हत्या की शर्त के तहत दी गई शर्तों और निबंधनों द्वारा मामले को अभिशासित किया जाएगा। उपरोक्त लाभों का भुगतान होने पर या हमारे द्वारा यह निर्णय देने पर पॉलिसी समाप्त होगी कि इस पॉलिसी के तहत कानून में दी गई शर्तों और निबंधनों के अनुसार इस पॉलिसी के तहत कोई लाभ देय नहीं है।

मृत्यु लाभ के दावों के लिए आवश्यकताएं

अनुभाग एफ के तहत उल्लिखित दावों की प्रक्रियाएं देखें। भाग च.

1.2 प्रतिबद्धता लाभ

कंपनी की लागू नीति के तहत पॉलिसी के 61वें माह से 120वें माह तक निधि मूल्य के 0.025 प्रतिशत पर और 121वें माह से पॉलिसी अवधि के समाप्त होने तक निधि मूल्य के 0.06 प्रतिशत पर प्रतिबद्धता लाभों के रूप में पॉलिसी धारक के यूनिट खाते में अतिरिक्त यूनिटें क्रेडिट की जाएंगी। प्रतिबद्धता लाभों का निर्धारण प्रत्येक पॉलिसी माह के अंतिम दिन प्रतिशत के रूप में किया जाएगा। एक बार प्रतिबद्धता लाभ के जुड़ जाने से निधि मूल्य पर गारंटी होती है।

1.3 परिपक्वता लाभ

यदि बीमित व्यक्ति परिपक्वता तिथि तक जीवित रहता है तो कंपनी द्वारा दावाकर्ता को परिपक्वता लाभ का भुगतान किया जाएगा, जो परिपक्वता तिथि के अनुसार निधि मूल्य के समकक्ष होगा। पॉलिसी धारक के पास खण्ड 2.6 के तहत परिभाषित निपटान विकल्प के अनुसार अधिक से अधिक पांच (5) वर्ष की अवधि संरचित अदायगी के माध्यम से संपूर्ण परिपक्वता लाभ पाने का विकल्प होगा।

1.4 नॉन जीरो पॉजिटिव क्लॉ बैक लाभ

नॉन जीरो पॉजिटिव क्लॉ बैक लाभ आईआरडीए (लिंक्ड बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के विनियम के अनुसार शुरूआती 5 पॉलिसी वर्षों के पूरा होने के बाद क्रेडिट किया जाएगा, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। यह क्रेडिट के समय पॉलिसी समापन निधि के मामले में लागू नहीं होगा।

PART D

2 Special Features of the Plan

2.1 Increase / Decrease of the Sum Assured

Subject to the Policy being in force and after completion of the Lock-in Period the Policyholder may at any time during the Policy Term, request us to increase/decrease the Sum Assured. Such increase/decrease in the Sum Assured can be exercised once in a Policy Year, subject to a total of three times during the entire Policy Term. For this purpose, you shall make an application in writing to us at least two months prior to the next Policy anniversary. The following conditions shall apply for such requests:

a. The Life Assured should not be a Minor or aged above fifty years at the time of such request. In case of minor or aged above 50 years only decrease in Sum Assured shall be available at the time of request;
b. Such increase /decrease shall be in accordance with the applicable Regulations, subject to underwriting acceptance as per our Board approved Underwriting Policy and may result in increase or decrease in mortality charges depending on the nature of the request.

2.2 Partial Withdrawals

You have the right to make partial withdrawals after completing the Lock-in period from sixth Policy Year onwards or the Life Assured attaining 18 years of Age, whichever is later. The Partial withdrawal is allowed to be made in multiple of Rs1,000 subject to a minimum of Rs. 10,000/- in any one transaction. Partial withdrawal at any time shall not result in the Fund Value after the partial withdrawal falling below twenty five percent (25%) of single premium paid under this policy. The cap on maximum partial withdrawal amount has been kept in view to avoid immediate foreclosure of the policy after the partial withdrawal i.e. the partial withdrawal shall not result in policy termination. Any partial withdrawal made shall be net of partial withdrawal Charges, as provided in clause 3.1. In case this Policy is absolutely assigned the “Assignee” shall be entitled to Partial Withdrawal as per the terms and conditions mentioned herein.

2.3 Switching

Subject to the Policy being in force at any time during the policy term, You may change the investment pattern of the available units in your Unit account by switching from one Unit Linked Fund to another (in whole or in part). The minimum amount to be switched or value of Units to be switched shall be Rs.10,000/-. Requests for switching may indicate the percentage of Units in the respective funds to be switched or the amount representing the value of Units to be switched. There is no charge for switching.

2.4 Safety Switch Option

You may at any time during the Policy Term but atleast four (4) Policy Years before the Maturity Date, opt for the Safety Switch Option, by giving a written intimation to the Company and Funds under this Policy shall be switched by the company to the Liquid Fund in last four (4) Policy Years as per the following schedule:

Beginning of	Fund allocation in funds other than Liquid Fund*	Liquid Fund allocation
Fourth last policy year	70%	30%
Third last policy year	40%	60%
Second last policy year	10%	90%
Last policy year	0%	100%

* “Funds allocation in funds other than liquid fund” means total amounts with respect to the Policy in Equity II Fund, Growth Plus Fund, Balanced Plus Fund and Debt Plus Fund.

(i) Safety Switch Option is available only to those policies which has a policy term of 10 years and above.
(ii) Auto Funds Rebalancing and Safety Switch Option cannot be exercised simultaneously. Hence, Auto Fund Rebalancing, if opted for earlier, will cease to exist once Safety Switch Option is chosen.
(iii) The policyholder can opt for settlement option even after Safety Switch Option is operational.
(iv) In case of Partial withdrawal, Safety Switch Option will be exercised on the balance amount remaining in the Unit account.
(v) While Safety Switch Option is operational, switching is allowed among the funds other than liquid fund. Switching in or out of the liquid fund will cause the Safety Switch Option to cease.

2.5 Auto Fund Rebalancing

(i) You can choose this option at inception or anytime later in the policy.

(ii) If Auto Fund Rebalancing is opted for, at the end of every three months starting from the date of commencement of Auto Fund Rebalancing, this feature automatically rebalances the allocation of the investments in various Funds as per the allocation proportions chosen by you.

(iii) Auto Fund Rebalancing will cease to exist in case a Switch option is exercised by the Policyholder. In case the Policyholder wants to continue with Auto Fund Rebalancing, he will be required to submit a new request.

(iv) In case the Policyholder opts for Partial Withdrawals, Auto Fund Rebalancing will be done on the remaining Funds.

(v) Auto Fund Rebalancing and Safety Switch Option cannot be exercised simultaneously. However, Auto Fund Rebalancing will cease to exist once Safety Switch Option is operational in last 4 policy years.

2.6 Settlement Option

The Policyholder may exercise this option to receive the Maturity Benefit through structured payouts over a period by making a written request to the Company at least three (3) months prior to the Maturity Date indicating his intention to exercise the Settlement Option. The exercise of this option shall be subject to fulfillment of the following conditions:

(i) The Policyholder may exercise this option to receive the Maturity Benefit in periodic installments, for a maximum period of up to five (5) years from the Maturity Date ("Settlement Period");

(ii) Units shall be encashed in respect of each payout at the Unit Prices applicable on the date of each payout under the Settlement Option;

(iii) No Benefits including Death Benefit or Rider Benefit, if any, shall be payable during the Settlement Period. In the event of the death of the Life Assured during the Settlement Period, the remaining Fund Value as on the date of intimation of death shall be payable to the Claimant and the policy will be terminated.

(iv) Fund Management Charges shall continue to be charged by the Company during the Settlement Period. There are no charges other than Fund Management Charges during the Settlement Period ;

(v) The Policyholder agrees and acknowledges that all investment risks and risks inherent in receiving the Maturity Benefit under the Settlement Option will continue to be borne entirely by the Policyholder;

(vi) Switches or Partial Withdrawals shall not be allowed during the Settlement Period;

(vii) The frequency of payout during the Settlement Period can be monthly, quarterly, half-yearly or annual as opted by the Policyholder;

(viii) The Policyholder shall be entitled, at any time during the Settlement Period, to cancel the Settlement Option and withdraw the Fund Value as on that date. On the payment of Fund Value, the Policy shall be terminated and no further amounts shall be payable by the Company.

2.7 **Loan:** No loan will be granted under this Policy.

2.8 Surrender

The policy can be surrendered anytime during the policy term by the Policyholder. On surrender, the life cover under the policy shall expire. The Surrender Value shall be the Fund Value as on the date of surrender reduced by applicable surrender charges as defined in clause 3.1.

If the policy is surrendered before completion of the Lock-in Period, on the date of surrender of the policy the Surrender Value under the policy will be transferred to the Discontinued Policy Fund and Proceeds of the Discontinued Policy Fund shall be paid to the policyholder on completion of the Lock in Period provided that no death claim has been made and the policy shall stand terminated. However, if death happens after the policy has been surrendered, during the Lock-in Period, the Proceeds of the Discontinued Policy Fund as on the date of intimation of death shall be payable.

If the policy is surrendered after completion of Lock-in Period, the Fund Value shall be paid immediately and the Policy shall stand terminated.

2.9 Auto termination of policy

Notwithstanding any other clause in this Policy and after completion of lock in period, if at any time during the policy term the Fund Value is insufficient to deduct monthly charges due to cancellation of units, or becomes equal to zero, then this policy shall terminate automatically. The remaining Fund Value (if any) in your unit account as on the date of such termination shall be payable to you in such circumstance.

2.10 Unit Account

For the purpose of this policy, we will maintain an account called the Unit Account, to which the Single premium received under this policy, shall be credited, net of applicable Charges in the respective Unit Linked Funds in the proportion as chosen by you. The amount credited shall be utilized for purchase of Units at the applicable Unit Price(s) in the Unit Linked Fund(s) offered by us in respect of this policy.

भाग घ

2. योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं

2.1 बीमित राशि में वृद्धि / कमी

प्रभावी पॉलिसी के अधीन और पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय बीमित राशि में वृद्धि / कमी का अनुरोध कर सकता है। बीमित राशि में उक्त वृद्धि / कमी पॉलिसी वर्ष में एक बार, संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान कुल तीन बार की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए आपको पॉलिसी की अगली वर्षगांठ के कम से कम दो माह पहले हमें लिखित में आवेदन देना होगा। उक्त अनुरोधों पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :

क. उक्त अनुरोध के समय बीमा कराने वाला व्यक्ति नाबालिग या 50 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। व्यक्ति नाबालिग या 50 वर्ष से अधिक उम्र का होने के मामले में अनुरोध के समय बीमित राशि में केवल कमी करना संभव होगा;

ख. उक्त वृद्धि/कमी को बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम अंकन नीति के अनुसार जोखिम अंकन स्वीकार्यता के अधीन लिया जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप अनुरोध के प्रकार पर निर्भर करते हुए मृत्यु प्रभारों में कमी या वृद्धि हो सकती है।

2.2 आंशिक निकासी

आपको पॉलिसी के छठवें वर्ष से या जीवन बीमा कराने वाले व्यक्ति के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद आंशिक निकासी का अधिकार है, इनमें से जो बाद में हो। आंशिक आहरण की अनुमति 1,000 रु के गुणक में किसी एक लेन देन में कम से कम 10000 रु. तक की जा सकती है। किसी भी समय आंशिक निकासी के परिणाम स्वरूप इस पॉलिसी के तहत एकल प्रीमियम भुगतान से पच्चीस प्रतिशत (25%) से कम आंशिक निकासी के बाद निधि मूल्य नहीं आएगा। आंशिक निकासी के बाद पॉलिसी को समय से पहले तुरंत बंद करने से बचने के लिए अधिकतम आंशिक आहरण पर नियंत्रण रखा जाएगा, अर्थात आंशिक निकासी के परिणाम पॉलिसी समाप्त नहीं होगी। कोई आंशिक निकासी आंशिक निकासी प्रभारों का निवल होगी, जैसा कि खण्ड 4.1 में बताया गया है। यदि इस पॉलिसी को समनुदेशित किया जाता है तो "समनुदेशिती" को यहां उल्लिखित शर्तों और निबंधनों के अनुसार आंशिक निकासी की पात्रता होगी।

2.3 स्विचिंग (परिवर्तन)

पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी के प्रभावी रहने के अधीन आप एक यूनिट लिंक्ड फंड से अपने खाते में उपलब्ध यूनिटों के निवेश पैटर्न को दूसरे में बदल सकते हैं (पूर्ण या आंशिक रूप से)। परिवर्तित की जाने वाली यूनिटों की न्यूनतम राशि 10,000 रु. होगी। परिवर्तन के अनुरोध में संबंधित निधियों में यूनिटों का प्रतिशत दर्शाया जाए जिन्हें बदला जाना है या बदली जाने वाली यूनिट के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि बताई जाए। परिवर्तन के लिए कोई प्रभार नहीं है।

2.4 सुरक्षा स्विच विकल्प

आप पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय किन्तु परिपक्वता तिथि के कम से कम चार (4) पॉलिसी वर्ष पहले सुरक्षा स्विच विकल्प अपना सकते हैं और इसके लिए इस पॉलिसी के तहत कंपनी और निधियों की एक लिखित सूचना निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार कंपनी द्वारा पिछले चार (4) पॉलिसी वर्षों में तरल निधि में आबंटित की जाए :

शुरूआत	तरल निधि के अलावा निधियों में निधि आबंटन	तरल निधि आबंटन
चौथा अंतिम पॉलिसी वर्ष	70%	30%
तीसरा अंतिम पॉलिसी वर्ष	40%	60%
दूसरा अंतिम पॉलिसी वर्ष	10%	90%
अंतिम पॉलिसी वर्ष	0%	100%

*"तरल निधि के अलावा निधियों में निधि आबंटन" का अर्थ है इक्विटी 2 फंड, ग्रोथ प्लस फंड, बैलेंस्ड प्लस फंड, और दिनांक प्लस फंड के संदर्भ में कुल राशि।

(i) केवल उन पॉलिसी के लिए सुरक्षा स्विच विकल्प उपलब्ध है जहां पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक है।

(ii) ऑटो फंड रिबेलेंसिंग और सुरक्षा स्विच विकल्प का उपयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। अत: यह पहले ऑटो फंड रिबेलेंसिंग का विकल्प अपनाया गया है तो एक बार सुरक्षा स्विच विकल्प के चुने जाने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

(iii) पॉलिसीधारक सुरक्षा स्विच विकल्प के प्रचालित रहने के बाद भी निपटान के विकल्प को अपना सकता है।

(iv) आंशिक निकासी के मामले में सुरक्षा स्विच विकल्प युनिट खाते में मौजूद शेष राशि पर अपनाया जाएगा।

(v) जबकि सुरक्षा स्विच विकल्प प्रचालनरत है, तरल निधि के अलावा अन्य निधियों में स्विचिंग की अनुमति है। तरल निधि में या इसके बाहर स्विचिंग से सुरक्षा स्विच विकल्प समाप्त हो जाएगा।

2.5 ऑटो फंड रिबैलेंसिंग

(i) आप पॉलिसी के आरंभ में या आगे चलकर किसी भी समय यह विकल्प चुन सकते हैं।

(ii) यदि ऑटो फंड रिबैलेंसिंग का विकल्प अपनाया गया है तो तो विभिन्न निधियों में निवेश के आबंटन पर ऑटो फण्ड रिबैलेंसिंग आरंभ करने के समय से प्रत्येक तीन माह के अंत पर आप द्वारा चुने गए आबंटन अनुपातों के अनुसार अपने आप बैलेंसिंग की जाएगी।

(iii) ऑटो फंड रिबैलेंसिंग उस मामले में समाप्त हो जाएगी जब एक पॉलिसीधारक द्वारा स्विच विकल्प मौजूद है। यदि पॉलिसीधारक ऑटो फंड रिबेलेंसिंग जारी रखना चाहता है तो उसे नया अनुरोध जमा करना होगा।

(iv) यदि पॉलिसीधारक आंशिक निकासी का विकल्प अपनाता है तो ऑटो रिबेलेंसिंग बची हुई राशि पर की जाएगी।

(v) ऑटो फंड रिबैलेंसिंग और सुरक्षा स्विच विकल्प का उपयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है। जबकि ऑटो फंड रिबेलेंसिंग पिछले चार पॉलिसी वर्षों में सुरक्षा स्विच विकल्प के प्रचालनरत होने पर समाप्त हो जाएगी।

2.6 निपटान के विकल्प

पॉलिसीधारक परिपक्वता तिथि के कम से कम तीन (3) माह पहले कंपनी को लिखित अनुरोध देकर संरचित भुगतानों के माध्यम से परिपक्वता लाभ पाने का विकल्प अपना सकता है जिसमें निपटान विकल्प के उपयोग की इच्छा बताई गई हैं। इस विकल्प का उपयोग करना निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) पॉलिसीधारक परिपक्वता तिथि ("निपटान अवधि") से पांच (5) वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए आवधिक किश्तों में परिपक्वता लाभ पाने के इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) निपटान विकल्प के तहत प्रत्येक भुगतान की तिथि पर लागू यूनिट मूल्यों पर प्रत्येक भुगतान के संदर्भ में यूनिट का नकदीकरण किया जाएगा।

(iii) मृत्यु लाभ या राइडर लाभ, यदि कोई हो, सहित कोई भी लाभ निपटान अवधि के दौरान देय नहीं होगा। निपटान अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत के मामले में मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार शेष निधि मूल्य दावेदार को देय होगा।

(iv) निधि प्रबंधन प्रभार निपटान अवधि के दौरान कंपनी द्वारा लेना जारी रहेगा। निपटान अवधि के दौरान निधि प्रबंधन प्रभारों के अलावा अन्य कोई प्रभार देय नहीं है;

(v) पॉलिसीधारक सहमत है और स्वीकार करता है कि निपटान विकल्प के तहत परिपक्वता लाभ प्राप्त करने में सभी निवेश जोखिम और आंतरिक जोखिम पूरी तरह पॉलिसीधारक द्वारा वहन किए जाएंगे;

(vi) निपटान अवधि के दौरान स्विच या आंशिक निकासी की अनुमति नहीं होगी;

(vii) निपटान अवधि के दौरान भुगतान की आवृत्ति मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती हैं, जैसा पॉलिसीधारक द्वारा विकल्प अपनाया गया हो।

(viii) पॉलिसीधारक को निपटान अवधि के दौरान किसी भी समय निपटान विकल्प रद्द करने और उस तिथि पर निधि मूल्य की निकासी की पात्रता होगी, तब पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कंपनी द्वारा अन्य कोई देय राशि नहीं होगी।

2.7 ऋण : इस पॉलिसी के तहत कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

2.8 अभ्यर्पण

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जा सकता है। अभ्यर्पण पर पॉलिसी के तहत लाइफ कवर समाप्त हो जाएगा। अभ्यर्पण मूल्य निधि मूल्य के बराबर खण्ड 3.1 में परिभाषित किए गए लागू अभ्यर्पण प्रभारों द्वारा कम किया जाएगा।

यदि पॉलिसी को लॉक इन अवधि पूरा होने से पहले पॉलिसी के अभ्यर्पण की तिथि पर अभ्यर्पित किया जाता है तो पॉलिसी के तहत अभ्यर्पण मूल्य पॉलिसी समापन निधि में अंतरित किया जाएगा और पॉलिसी समापन निधि का भुगतान लॉक इन अवधि के पूरा होने पर पॉलिसीधारक को किया जाएगा, बशर्ते कि मृत्यु का कोई दावा नहीं किया गया है और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

जबकि, यदि पॉलिसी के अभ्यर्पण के बाद, लॉक इन अवधि में मौत होती है तो मौत की सूचना तिथि के अनुसार रोकी गई पॉलिसी की प्राप्तियां देय होंगी। यदि पॉलिसी का अभ्यर्पण लॉक इन अवधि के बाद किया जाता है तो तुरंत निधि मूल्य दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

2.9 पॉलिसी का स्वत: समापन

इस पॉलिसी की किसी शर्त में नहीं होने के बावजूद और लॉक इन अवधि के बाद यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी समय यूनिट रद्द या 0 के बराबर हो जाने के कारण मासिक प्रभार की कटौती के लिए निधि मूल्य पर्याप्त नहीं है तो यह पॉलिसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपके यूनिट खाते में उक्त समापन की तिथि पर शेष निधि मूल्य (यदि कोई हो) तो इन परिस्थितियों में आपको भुगतान किया जाएगा।

2.10 यूनिट खाता

पॉलिसी के इस प्रयोजन के लिए हम यूनिट एकाउंट नामक एक खाता बनाएंगे, जिसमें इस पॉलिसी के तहत प्राप्त एकल प्रीमियम, आपके द्वारा चुने गए अनुपात में संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड में लागू प्रभारों का निवल क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट की गई राशि इस पॉलिसी के संबंध में हमारे द्वारा प्रस्तावित यूनिट लिंक्ड फंड में लागू यूनिट मूल्य पर यूनिटों की खरीद में उपयोग की जाएगी।

PART E

3. Charges

We shall levy the Charges as detailed below (clauses 3.1and 3.2) during the term of this policy. We reserve the right to revise the Charges, with the prior approval of the Authority, up to the maximum limits mentioned against each charge. All Charges are subject to applicable taxes and levies, including service tax and education cess as applicable from time to time, which shall be borne by you.

3.1 Charges

(i) **Mortality Charges** shall be levied on a monthly basis by way of cancellation of Units at the beginning of each policy month. The Mortality Charge shall apply on the sum at risk which shall be computed as follows:

(a) For life assured aged less than 60 years, the higher of;
- Sum Assured less partial withdrawals in the preceding two years less fund value; or
- 105% of Single Premium less fund value; or
- Zero

(b) For life assured aged 60 years and above, the higher of;
- Sum Assured less partial withdrawals post attaining age 58 years less fund value; or
- 105% of Single Premium less fund value; or
- Zero

The rates of Mortality Charge applicable are shown in clause 3.2. These rates would remain unchanged during the entire policy Term.

(ii) **Premium Allocation Charge** is a percentage of the Single Premium received and is charged at the time of receipt of the premium. The Premium Allocation Charge shall be 3 % of the single premium, if the single premium is equal to Rs.1,00,000/- or less than Rs. 5,00,000/- and shall be 2% of the single premium if the single premium is equal to or above Rs. 5,00,000/- (for Policies issued to Staff it is 2% of the single premium if the single premium is equal to Rs. 1,00,000/- or less than Rs. 5,00,000/- and shall be 1 % of the single premium if the single premium is equal to or above Rs. 5,00,000/-). In the event the Company decides to sell the Plan directly through its website without the involvement of any intermediary, the premium allocation charges for the same shall be 2.5% of the single premium if the single premium is equal to Rs. 1,00,000 or less than Rs. 5,00,000/- and 1.5% if the single premium is equal to or above Rs. 5,00,000/-.

Note: For the purpose of this Policy Document "Staff" includes employees, their spouse, minor children and dependent parent of the Company and its three Shareholder Banks (Canara Bank, HSBC Bank and Oriental Bank of Commerce) and their group/associate companies.

(iii) **Fund Management Charge** is expressed as a percentage of Fund Value and is levied at the time of computation of the NAV by adjusting the Unit Price. Mentioned below are the current rates of Fund Management Charge for each of the Unit Linked Fund(s). The Fund Management Charge for the Liquid Fund may be increased by the Company with prior approval of Authority, subject to a maximum of 1.35% per annum for each Unit Linked Fund available to Policyholder. Fund Management Charges for funds other than Liquid Fund shall not be changed:

Unit Linked Fund	Fund Management Charge
Equity II Fund	1.35% per annum
Growth Plus Fund	1.35% per annum
Balanced Plus Fund	1.35% per annum
Debt Plus Fund	1.35% per annum
Liquid Fund	0.80% per annum
Discontinued Policy Fund	0.50% per annum

(iv) **Policy Administration Charge** is expressed as a fixed percentage of the single premium and shall be charged at the beginning of each policy month from first policy year to the completion of fifth Policy Year only by cancellation of Units.

The Policy Administration Charge shall be 0.03% per month of the Single Premium, subject to a cap of Rs. 500 per month.

(v) **Partial Withdrawal Charge** shall be deducted from the Fund Value by cancellation of Units at the time of partial withdrawals. Any partial withdrawal made shall be net of Partial Withdrawal Charge mentioned as here under:

Number of Partial Withdrawal	Charge per Partial Withdrawal
1 to 4 in a Policy Year	Nil
5 and above in a Policy Year	Rs 250/- per partial withdrawal

Unused Partial Withdrawal in a Policy Year cannot be carried forward to subsequent Policy Year.

(vi) **Switching Charge –** There are no switching charges.

(vii) Discontinuance/Surrender Charge – The Surrender Charges shall be as follows:

Policy Year of Surrender	Surrender Charges
1	Lower of 1% * (SP or FV) subject to maximum of Rs 6,000
2	Lower of 0.5% * (SP or FV) subject to maximum of Rs 5,000
3	Lower of 0.25% * (SP or FV) subject to maximum of Rs 4,000
4	Lower of 0.1% * (SP or FV) subject to maximum of Rs 2,000
5	NIL

Note: SP – Single Premium, FV – Fund Value

The Premium Allocation charges, Policy Administration charges and Mortality charges mentioned in clause 3.2 below are guaranteed under the contract.

3 .2 Mortality Charges

Mortality Charges p.a. per thousand sum at risk:

Age l.b.d	Males	Females	Age l.b.d	Males	Females
07	0.818	0.818	45	3.161	2.354
08	0.649	0.818	46	3.517	2.584
09	0.541	0.818	47	3.923	2.852
10	0.484	0.818	48	4.381	3.161
11	0.471	0.649	49	4.888	3.517
12	0.492	0.541	50	5.440	3.923
13	0.540	0.484	51	6.031	4.381
14	0.603	0.471	52	6.656	4.888
15	0.675	0.492	53	7.307	5.440
16	0.748	0.540	54	7.981	6.031
17	0.817	0.603	55	8.677	6.656
18	0.879	0.675	56	9.397	7.307
19	0.933	0.748	57	10.148	7.981
20	0.976	0.817	58	10.938	8.677
21	1.010	0.879	59	11.780	9.397
22	1.037	0.933	60	12.687	10.148
23	1.057	0.976	61	13.674	10.938
24	1.071	1.010	62	14.755	11.780
25	1.082	1.037	63	15.946	12.687
26	1.093	1.057	64	17.260	13.674
27	1.104	1.071	65	18.709	14.755
28	1.118	1.082	66	20.308	15.946
29	1.137	1.093	67	22.067	17.260
30	1.161	1.104	68	24.000	18.709
31	1.192	1.118	69	26.120	20.308
32	1.231	1.137	70	28.440	22.067
33	1.280	1.161	71	30.975	24.000
34	1.339	1.192	72	33.740	26.120
35	1.410	1.231	73	36.753	28.440
36	1.494	1.280	74	40.033	30.975
37	1.591	1.339	75	43.601	33.740
38	1.704	1.410	76	47.478	36.753
39	1.834	1.494	77	51.690	40.033
40	1.983	1.591	78	56.263	43.601
41	2.155	1.704	79	61.228	47.478
42	2.354	1.834	80	66.614	51.690
43	2.584	1.983			
44	2.852	2.155			

Note: The rates mentioned above are the standard mortality rates offered by the Company in respect of this plan. In case the policy has been issued on revised terms, the mortality charges mentioned in the revised term shall be applicable.

4. Unit Linked Funds

4.1 The Unit Linked Fund(s) offered by us as at the Policy Commencement Date and the indicative portfolio allocations and risk profiles of such Unit Linked Fund(s) are as follows:

1. **Equity II Fund: (SFIN: ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136)**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	60%	100%	High	Generate long-term capital appreciation from active management of a portfolio invested in diversified equities.
Money Market	NIL	40%		

2. **Growth Plus Fund (SFIN: ULIF00913/09/10GROWTPLFND136)**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	50%	90%	Medium to High	Achieve capital appreciation by investing predominantly in equities, with limited investment in Fixed Income Securities.
Debt Securities	10%	50%		
Money market	NIL	40%		

3. **Balanced Plus Fund SFIN: ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	30%	70%	Medium	Generate capital appreciation and current income, through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities.
Debt Securities	30%	70%		
Money market	NIL	40%		

4. **Debt Plus Fund SFIN: ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Debt Securities	60%	100%	Low to Medium	Earn regular income by investing in high quality Debt securities.
Money market	NIL	40%		

5. **Liquid Fund SFIN: ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Debt Securities*	NIL	60%	Low	Generate reasonable returns commensurate with low risk and a high degree of liquidity.
Money market	40%	100%		

* Debt Securities under Liquid Fund shall only comprise of short term securities

6. **Discontinued Policy Fund** (SFIN: ULIF01319/09/11POLDISCFND136)**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Government Securities	60%	100%	Low	Generate reasonable returns on funds from discontinued policies determined in accordance with the Regulations.
Money market	0%	40%		

** These are subject to revision as guided by Authority from time to time. The said fund cannot be opted by the Policyholder but shall be applicable in accordance with Discontinuance/Surrender of Policy.

4.2 We shall have the discretion to select the investments and/or make the investments under each Unit Linked Fund, having regard to the investment objectives of the respective Unit Linked Fund subject to our investment norms and policies.

4.3 On the happening of events including but not limited to extreme volatility of markets/Force Majeure conditions, we may close or discontinue one or more of the Unit Linked Funds as mentioned in our board approved investment policy and with prior approval from Authority. In the event of closure or discontinuance of any Unit Linked Fund as mentioned in our board approved investment policy, we shall give you prior notice of at least three months stating our intention to discontinue or close a Unit Linked Fund except in cases where such closure or discontinuance is on account of unforeseen emergency or force majeure conditions where issuance of such prior notice is not possible. We shall provide you with options of switching free of cost to other Unit Linked fund(s) offered by us. In such a case, you shall exercise the option within the time limits provided in the notice, failing which we will have the right to switch the Funds to liquid fund which will be the default fund.

Force Majeure Condition

(a) We will value the Funds on each day that the financial markets are open. However, we may value the Funds less frequently in extreme circumstances external to the Company, where the value of the assets is too uncertain. In such circumstances, we may defer the valuation of assets for upto 30 days until we feels that certainty as to the value of assets has been resumed. The deferment of the valuation of assets will be with prior consultation with the Authority.

(b) We will make investments as per clause 4.1 referred above. However, we reserve the right to change the exposure of all/any Fund to money market instruments to 100% only in extreme situations external to the company, keeping in view market conditions, political situations, economic situations, war/war-like situations, terror situations. The same will be put back as per the base mandate once the situation has corrected.

(c) Some examples of such circumstances [in sub-section a) & sub-section b) above] are:

(i) When one or more stock exchanges which provide a basis for valuation for a substantial portion of the assets of the Fund are closed otherwise than for ordinary holidays.

(ii) When, as a result of political, economic, monetary or any circumstances out of control of the Company, the disposal of the assets of the Fund are not reasonable or would not reasonably be practicable without being detrimental to the interests of the remaining Policyholders.

(iii) During periods of extreme market volatility during which Surrenders and Switches would be detrimental to the interests of the remaining Policyholders.

(iv) In the case of natural calamities, strikes, war, civil unrest or riots etc.

(v) In the event of any force majeure or disaster that effects the normal functioning of the Company.

(vi) If so directed by the Authority

(d) The Policyholder shall be notified of such a situation if it arises.

4.4 The Company may at a later date subject to prior approval of Authority introduce a new Unit Linked Fund, apart from those mentioned in clause 4.1. The Policyholder shall be entitled to switch to the said newly introduced Unit Linked Fund as any other Fund mentioned in clause 4.1 subject to such terms and conditions that may be approved by the Authority.

5. Units

5.1 The Units shall have a nominal value of Rs 10/- each at the inception of the Unit Linked Fund. The Units shall be purchased and cancelled at the Unit Price applicable on the date of transaction as per these terms and conditions. The Unit Price shall be computed to three decimal points. Units will be allocated up to four decimal points. The Unit Price will be declared as soon as may be possible after close of every Business Day.

5.2 Allocation of Units

(i) Units against the single premium received by us shall be allocated on the Policy Commencement Date after deduction of applicable Charges, and applicable service tax , education cess.

(ii) In case of registration of death claim or a request for partial withdrawal, switch or surrender received at the Company's Office prior to 3.00 PM on any Business Day, the same would be processed based on the closing Unit Price of that day. The closing Unit Price of the next Business Day would be applied in case of all requests received at the Company's Offices after 3.00 PM on any Business Day.

(iii) The above cut-off timings are as per regulations prevailing on the Policy Commencement Date, which can change from time to time with change in regulations.

5.3 Computation of Net Asset Value (“NAV”) and Unit Price

Net Asset Value and Unit Price shall be calculated on all Business Days in accordance with the Authority’s guidelines in force from time to time.

5.4. Valuation of Unit Linked Funds

The calculation made by us in regard to the valuation of its Unit Linked Funds is final and binding for all purposes except in case of manifest error. The valuation of assets of the Unit Linked Funds shall be made as per the applicable Regulations and valuation norms of the Company in effect from time to time.

भाग ड.

3. प्रभार

हम इस पॉलिसी की अवधि के दौरान नीचे दिए गए विस्तार के अनुसार (खण्ड 3.1 और 3.2) प्रभारों की वसूली करेंगे। हमें प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के साथ प्रत्येक प्रभार की तुलना में उल्लिखित अधिकतम सीमाओं तक प्रभारों में संशोधन करने का अधिकार है। सभी प्रभार लागू करों और लेवियों के अधीन सेवा कर और शिक्षा उप कर सहित है जो समय समय पर लागू है, जिन्हें आप वहन करेंगे।

3.1 प्रभार

(i) मृत्यु दर प्रभारों की वसूली प्रत्येक पॉलिसी माह की शुरूआत में यूनिटों को रद्द करने की विधि द्वारा मासिक आधार पर की जाएगी। मृत्युदर प्रभार जोखिम पर योग पर लागू होंगे, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी :

(क) बीमित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर इसमें से अधिक;

- बीमित राशि पिछले दो वर्ष में आंशिक आहरण से निधि मूल्य घटाने के बाद प्राप्त; या
- एकल प्रीमियम के 105 प्रतिशत में से निधि मूल्य घटाने पर, या
- शून्य

(ख) बीमित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष और इससे अधिक होने पर, इनमें से अधिक;

- बीमित राशि में से आंशिक आहरण 58 वर्ष की आयु होने के बाद इसमें से निधि मूल्य घटाने पर प्राप्त या
- एकल प्रीमियम के 105 प्रतिशत में से निधि मूल्य घटाने पर, या
- शून्य

लागू मृत्यु प्रभार की दरें खण्ड 3.2 में दर्शाई गई है। ये पूरी पॉलिसी अवधि में अपरिवर्तित रहेंगी।

(ii) प्रीमियम आबंटन प्रभार प्राप्त होने वाले एकल प्रीमियम का प्रतिशत है और यह प्रीमियम की प्राप्ति के समय पर प्रभारित किया जाता है। प्रीमियम आबंटन प्रभार एकल प्रीमियम का तीन प्रतिशत होगा, यदि एकल प्रीमियम 1,00,000 रु. या 5,00,000 रु. से कम है तथा यह एकल प्रीमियम का 2 प्रतिशत होगा यदि एकल प्रीमियम 500,000 रु. के बराबर या इससे अधिक है (कर्मचारियों को जारी की गई पॉलिसी के लिए यह एकल प्रीमियम का दो प्रतिशत है यदि एकल प्रीमियम 1,00,000 रु. या 5,00,000 रु. से कम है तथा यह एकल प्रीमियम का 1 प्रतिशत होगा यदि एकल प्रीमियम 500,000 रु. के बराबर या इससे अधिक है)। कंपनी द्वारा प्लान को सीधे वेबसाइट के जरिए किसी व्यक्ति को शामिल किए बिना बेचने का निर्णय लेने पर इसके प्रीमियम आबंटन प्रभार एकल प्रीमियम के 2.5% होंगे यदि एकल प्रीमियम 1 लाख रु. के बराबर या 5,00,000 रु. से कम हैं और यदि एकल प्रीमियम 5,00,000 रु. से अधिक है तो यह 1.5% होगा।

टिप्पणी : इस पॉलिसी दस्तावेज के प्रयोजन के लिए "स्टाफ" में कंपनी तथा इसके तीन शेयरधारक बैंकों (केनरा बैंक, एचएसबीसी बैंक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) तथा उनकी समूह / सहयोगी कंपनियों के कर्मचारी, उनके जीवनसाथी, नाबालिग बच्चे और आश्रित माता पिता शामिल हैं।

(iii) निधि प्रबंधन प्रभार निधि मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे यूनिट मूल्य के समायोजन द्वारा एनएवी की गणना के समय वसूल किया जाता है। नीचे प्रत्येक यूनिट लिंक्ड फंड के लिए निधि प्रबंधन प्रभार की वर्तमान दर बताई गई है, जिसे पॉलिसी धारक को उपलब्ध प्रत्येक यूनिट लिंक्ड फंड के लिए अधिकतम 1.35 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से समय समय पर कंपनी द्वारा बदला जा सकता है। तरल फंड के लिए फंड प्रबंधन प्रभार प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से कंपनी द्वारा पॉलिसी धारक के लिए उपलब्ध प्रत्येक यूनिट लिंक्ड फंड के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 1.35% के अधीन होगा।

यूनिट लिंक्ड फंड	**फंड प्रबंधन प्रभार**
इक्विटी II फंड	1.35% प्रति वर्ष
ग्रोथ प्लस फंड	1.35% प्रति वर्ष
बेलेंस प्लस फंड	1.35% प्रति वर्ष
डेट प्लस फंड	1.35% प्रति वर्ष
तरल फंड	0.80% प्रति वर्ष
पॉलिसी समापन फंड	0.50% प्रति वर्ष

(iv) पॉलिसी प्रशासन प्रभार एकल प्रीमियम के नियत प्रतिशत के रूप से व्यक्त किया जाता है और यह पॉलिसी के प्रथम वर्ष से पॉलिसी के पांचवें वर्ष तक केवल यूनिटों को रद्द करने के जरिए प्रत्येक पॉलिसी माह की शुरूआत में प्रभारित किया जाएगा।

पॉलिसी प्रशासन प्रभार एकल प्रीमियम 500 रु प्रति माह की सीमा के अधीन के 0.03 प्रतिशत प्रतिमाह होंगे।

(v) **आंशिक निकासी प्रभार** की कटौती आंशिक निकासी के समय यूनिटों के रद्द करने के जरिए निधि मूल्य से की जाएगी। कोई भी आंशिक निकासी निम्नानुसार उल्लिखित आंशिक निकासी प्रभार का निवल होगी :

आंशिक निकासी की संख्या	**प्रति आंशिक प्रभार**
पॉलिसी वर्ष में 1 से 4 तक	शून्य
एक पॉलिसी वर्ष में 5 और इससे अधिक	250 रु. प्रति आंशिक निकासी

एक वर्ष में अप्रयुक्त आंशिक आहरण अगले पॉलिसी वर्ष में अग्रेषित नहीं किया जा सकता है।

(vi) **स्विचिंग प्रभार** - इसके कोई स्विचिंग प्रभार नहीं हैं।

(vii) **रोकना/अभ्यर्पण प्रभार** - अभ्यर्पण प्रभार निम्नानुसार होंगे :

अभ्यर्पण का पॉलिसी वर्ष	**अभ्यर्पण प्रभार**
1	अधिकतम 6000 रु. के अधीन 1%* से कम (एसपी या एफवी)
2	अधिकतम 5000 रु. के अधीन 0.5%* से कम (एसपी या एफवी)
3	अधिकतम 4000 रु. के अधीन 0.25 %* से कम (एसपी या एफवी)
4	अधिकतम 2000 रु. के अधीन 0.1%* से कम (एसपी या एफवी)
5	शून्य

टिप्पणी : SP-एकल प्रीमियम, FV-फंड वैल्यू

प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रभार और मृत्यु प्रभार नीचे खण्ड 4.2 में संविदा के तहत गारंटी है।

3.2 मृत्युदर प्रभार

जोखिम पर योग में प्रति हजार प्रति वर्ष मृत्युदर प्रभार :

आयु एल. बी. डी	पुरुष	महिला	आयु एल. बी. डी	पुरुष	महिला
07	0.818	0.818	45	3.161	2.354
08	0.649	0.818	46	3.517	2.584
09	0.541	0.818	47	3.923	2.852
10	0.484	0.818	48	4.381	3.161
11	0.471	0.649	49	4.888	3.517
12	0.492	0.541	50	5.440	3.923
13	0.540	0.484	51	6.031	4.381
14	0.603	0.471	52	6.656	4.888
15	0.675	0.492	53	7.307	5.440
16	0.748	0.540	54	7.981	6.031
17	0.817	0.603	55	8.677	6.656
18	0.879	0.675	56	9.397	7.307
19	0.933	0.748	57	10.148	7.981
20	0.976	0.817	58	10.938	8.677
21	1.010	0.879	59	11.780	9.397
22	1.037	0.933	60	12.687	10.148
23	1.057	0.976	61	13.674	10.938
24	1.071	1.010	62	14.755	11.780
25	1.082	1.037	63	15.946	12.687
26	1.093	1.057	64	17.260	13.674
27	1.104	1.071	65	18.709	14.755
28	1.118	1.082	66	20.308	15.946
29	1.137	1.093	67	22.067	17.260
30	1.161	1.104	68	24.000	18.709
31	1.192	1.118	69	26.120	20.308
32	1.231	1.137	70	28.440	22.067

33	1.280	1.161	71	30.975	24.000
34	1.339	1.192	72	33.740	26.120
35	1.410	1.231	73	36.753	28.440
36	1.494	1.280	74	40.033	30.975
37	1.591	1.339	75	43.601	33.740
38	1.704	1.410	76	47.478	36.753
39	1.834	1.494	77	51.690	40.033
40	1.983	1.591	78	56.263	43.601
41	2.155	1.704	79	61.228	47.478
42	2.354	1.834	80	66.614	51.690
43	2.584	1.983			
44	2.852	2.155			

टिप्पणी : उपरोक्त उल्लिखित दरें इस योजना के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रस्तावित मानक मृत्यु दरें हैं। यदि पॉलिसी संशोधित शर्तों पर जारी की गई है तो संशोधित पद में उल्लिखित मृत्युदर प्रभार लागू होंगे।

4. यूनिट लिंक्ड फंड

4.1 पॉलिसी आरंभ होने की तिथि पर हमारे द्वारा प्रस्तावित यूनिट लिंक्ड फंड और सांकेतिक पोर्टफोलियो आबंटन तथा उक्त यूनिट लिंक्ड फंड की जोखिम रूपरेखा निम्नानुसार हैं :

1. **इक्विटी II फंड** : (SFIN: ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136)

परिसंपत्तियां	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**जोखिम प्रोफाइल**	**उद्देश्य**
इक्विटी	60%	100%	उच्च	विविध इक्विटी में निवेश पोर्टफोलियो के सक्रिय प्रबंधन से दीर्घ अवधि पूंजी लाभ उत्पन्न करना।
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

2. **ग्रोथ प्लस फंड** (SFIN: ULIF00913/09/10GROWTPLFND136)

परिसंपत्तियां	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**जोखिम प्रोफाइल**	**उद्देश्य**
इक्विटी	50%	90%	मध्यम से उच्च	इक्विटी में नियत आय प्रतिभूतियों में सीमित निवेश के साथ इक्विटी में प्रभावी रूप से निवेश द्वारा पूंजी का लाभ अर्जित करना।
ऋण प्रतिभूतियां	10%	50%		
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

3. **बैलेंस प्लस फंड** ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136

परिसंपत्तियां	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**जोखिम प्रोफाइल**	**उद्देश्य**
इक्विटी	30%	70%	मध्यम	इक्विटी और नियत आय प्रतिभूतियों के विवेकपूर्ण मिश्रण के जरिए पूंजी लाभ और वर्तमान आय उत्पन्न करना।
ऋण प्रतिभूतियां	30%	70%		
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

4. **डेट प्लस फंड** SFIN: ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136

परिसंपत्तियां	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**जोखिम प्रोफाइल**	**उद्देश्य**
ऋण प्रतिभूतियां	60%	100%	कम से मध्यम	उच्च गुणवत्ता ऋण प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा नियमित आय पाना।
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

5. **तरल फंड** SFIN: ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136

परिसंपत्तियां	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**जोखिम प्रोफाइल**	**उद्देश्य**
ऋण प्रतिभूतियां*	शून्य	60%	कम	कम जोखिम और उच्च स्तर की तरलता के साथ उचित लाभ उत्पन्न करना।
मुद्रा बाजार	40%	100%		

* तरल फंड के तहत ऋण प्रतिभूतियों में केवल अल्पावधि प्रतिभूतियां शामिल होंगी।

6. **पॉलिसी समापन फंड **** (SFIN: ULIF01319/09/11POLDISCFND136)

परिसंपत्तियां	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**जोखिम प्रोफाइल**	**उद्देश्य**
सरकारी प्रतिभूतियां	60%	100%	कम	विनियमों के अनुसार पॉलिसी समापनों से निधि पर उचित लाभ उत्पन्न करना।
मुद्रा बाजार	0%	40%		

** ये समय समय पर प्राधिकरण के निर्देशानुसार संशोधन के अधीन हैं। कथित निधि को पॉलिसीधारक द्वारा अपनाया नहीं जा सकता, किन्तु यह पॉलिसी के समापन / अभ्यर्पण के अनुसार लागू होगा।

4.2 हमारे पास प्रत्येक यूनिट लिंक्ड फंड के तहत निवेश को चुनने और / या निवेश करने का स्वनिर्णय अधिकार होगा, जिसे हमारे निवेश मानकों और पॉलिसी में संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड के निवेश संबंधी उद्देश्यों के विषय में बनाया गया है।

4.3 ऐसी घटनाओं के होने पर जिनमें बाजार में अत्यधिक समस्या / प्राकृतिक आपदा की स्थिति होने पर हम अपने बोर्ड और प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन द्वारा अनुमोदित निवेश पॉलिसी में बताई गई यूनिट लिंक्ड एक या अधिक फंड बंद कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। किसी यूनिट लिंक्ड फंड के बंद या समाप्त होने पर हम आपको कम से कम तीन माह पहले एक सूचना देंगे जिसमें यूनिट लिंक्ड फंड को बंद या समाप्त करने के बारे में बताया जाएगा, सिवाए उन मामलों के, जहां यह समाप्ति या बंद करने का कार्य अनदेखी आपातकालीन स्थिति प्राकृतिक आपदा के मामले में हुई है, जहां यह सूचना पहले से देना संभव नहीं है। हम आपको मुफ्त किसी अन्य यूनिट लिंक्ड फंड में बदलने का विकल्प देंगे जो हमारे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस मामले में आप सूचना देने की समय सीमा के अंदर इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा ना करने पर हमें यह फंड तरल फंड में बदलने का अधिकार होगा जो डीफॉल्ट फंड होगा।

अप्रत्याशित घटना स्थिति

(क) हम वित्तीय बाजार के खुलने के प्रत्येक दिन फंड का मूल्यांकन करेंगे। जबकि, हम कंपनी के लिए बहुत अधिक विकट बाहरी परिस्थितियों में आवृत्ति से कम निधि का मूल्य कर सकते हैं, जहां परिसंपत्तियों का मूल्य बहुत अनिश्चित है। इन परिस्थितियों में हम 30 दिनों तक परि संपत्तियों का मूल्यांकन अस्थगित कर सकते हैं जब तक हमें ऐसा लगता है कि परिसंपत्तियों के मूल्य में निश्चित स्थिति आ गई है। परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का अस्थगन प्राधिकरण के पूर्व परामर्श से किया जाएगा।

(ख) हम उपरोक्त खण्ड 5.2 के अनुसार निवेश करेंगे। जबकि हमें, बाजार परिस्थितियों, राजनैतिक परिस्थितियों, युद्ध / युद्ध जैसी परिस्थितियों और आतंकवाद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए अत्यंत विकट बाहरी परिस्थितियों में केवल 100 प्रतिशत तक बाजार के धन उपकरणों में और / किसी उद्धासन में बदलाव का अधिकार है। इसे स्थिति में सुधार आने के बाद पुन: बुनियादी अधिदेश के अनुसार बनाया जाएगा।

(ग) इन परिस्थितियों के कुछ उदाहरण उपरोक्त उप वर्ग क) और उप वर्ग ख) में दिए गए हैं :

I. जब एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज जो निधि की संपत्तियों के पर्याप्त मूल्य के लिए मूल्यांकन का आधार प्रदान करते हैं, जो अन्यथा अवकाश के लिए बंद है।

II. जब, राजनैतिक, आर्थिक, मौद्रिक या कंपनी के नियंत्रण से परे किसी अन्य परिस्थिति के कारण निधि की परिसंपत्तियों का निपटान उचित नहीं है या शेष पॉलिसी धारकों के हितों के लिए घातक नहीं हुए बिना उचित रूप से व्यावहारिक है।

III. बाजार की विकट परिस्थितियों के दौरान जिसके दौरान अभ्यर्पण और बदलाव शेष पॉलिसीधारकों के हितों के लिए हानिकारक होगा।

IV. प्राकृतिक आपदाओं, हमले, युद्ध, नागरिक अशांति या दंगों आदि के मामले में।

V. कंपनी के सामान्य कामकाज पर प्रभाव डालने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना या आपदा की स्थिति में।

VI. इसलिए प्राधिकरण द्वारा निर्देशित हैं।

(घ) ऐसी स्थिति के बारे में पॉलिसीधारक सूचित किया जाएगा यदि यह उठता है।

4.4 कंपनी आगे की तिथि पर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अधीन एक नई यूनिट लिंक्ड फंड आरंभ कर सकती हैं जो खण्ड **5**.1 में उल्लिखित के अलावा है। पॉलिसीधारक को उक्त शर्तों और निबंधनों के तहत खण्ड **5**.1 में बताई गई अन्य निधि के रूप में कथित नई लाई गई यूनिट लिंक्ड फंड में परिवर्तन की पात्रता होगी, जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5. यूनिट

5.1 यूनिट का सांकेतिक मूल्य यूनिट लिंक्ड फंड के आरंभ में 10 रु. प्रत्येक होगा। यूनिटों को लेन देन की तिथि पर लागू यूनिट मूल्य इन शर्तों और निबंधनों के अनुसार खरीदा और रद्द किया जाएगा। यूनिट मूल्य की गणना दशमलव के तीन अंकों तक की जाएगी। यूनिटों को दशमलव के चार अंकों तक आबंटित किया जाएगा। यूनिट का मूल्य प्रत्येक व्यापार दिवस के समापन के बाद जल्दी से जल्दी घोषित किया जाएगा।

5.2 यूनिटों का आबंटन

(i) पॉलिसी आरंभ होने की तिथि पर लागू प्रभारों और लागू सेवा कर, शिक्षा उपकर की कटौती के बाद हमें प्राप्त होने वाले एकल प्रीमियम की तुलना में यूनिट आबंटित की जाएंगी।

(ii) मृत्यु के दावे के पंजीकरण या आंशिक निकासी, कंपनी के कार्यालय में किसी व्यापार दिवस पर दोपहर 3.00 बजे से पहले प्राप्त स्विचिंग या अभ्यर्पण पर उस दिन के समापन मूल्य के आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगले व्यापार दिवस के समापन यूनिट मूल्य किसी व्यापार दिवस पर दोपहर 3.00 बजे के बाद कंपनी के कार्यालय में प्राप्त होने वाले सभी अनुरोधों के मामले में लागू होगा।

(iii) उपरोक्त कट ऑफ समय पॉलिसी आरंभ होने की तिथि पर प्रचलित नियमों के अनुसार होगा, जिसे विनियमों में बदलाव के साथ समय समय पर बदला जा सकता है।

5.3 निवल परिसंपत्ति मूल्य ("एनएवी") और यूनिट मूल्य की गणना

निवल परिसंपत्ति मूल्य तथा यूनिट मूल्य की गणना समय समय पर लागू प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी व्यापार दिवस पर की जा सकेगी।

5.4 यूनिट लिंक्ड फंड का मूल्यांकन

हमारे द्वारा इसकी यूनिट लिंक्ड फंड के मूल्यांकन के विषय में की गई गणना अंतिम होगी और त्रुटि पाए जाने के मामले के अलावा अन्य सभी प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी है। यूनिट लिंक्ड फंड की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन समय समय पर प्रभावी कंपनी के लागू विनियमों और मूल्यांकन मानकों के अनुसार लागू होगा।

PART F

General Conditions:

All options, rights and obligations under this policy vest with the Policyholder, and shall be discharged by the Policyholder/Claimant as the case may be.

Assignment:

Assignment should be in accordance with provisions of Section 38 of the Insurance Act 1938 as amended from time to time. The entire Section 38 is reproduced and enclosed in **Annexure 4**.

Nomination :

Nomination should be in accordance with provisions of Section 39 of the Insurance Act 1938 as amended from time to time. The entire Section 39 is reproduced and enclosed in **Annexure 5**.

Discretion:

We reserve the right to review, revise, delete and / or alter any of the terms and conditions of this policy, including without limitation the Benefits, the Charges other than those charges which are specifically stated to remain unchanged in this policy, the method, manner and timing of levy or recovery of the Charges or valuation of the investments and / or assets of the Unit Linked Fund and / or determination of the Unit Price, with the prior approval of Authority. The terms of this policy shall also stand modified from time to time, to the extent of changes to the Regulations affecting the terms and conditions of this policy.

Policy Currency:

All Premiums and Benefits payable shall be paid in Indian Rupees only.

Misstatement of Age:

The Age of the Policyholder/Life Assured has been admitted on the basis of the declaration made in the Proposal and/or in any statement, supporting document/proof provided in this regard. If the date of birth of the Life Assured has been misstated and as a result if the Policyholder has paid less premium than what would have been payable for the correct age, the company would be entitled to charge and the Policyholder would be obliged to pay for such premium difference since inception of the policy without interest.

If the date of birth of the Life Assured has been misstated and the Policyholder has paid higher premium than what would have been payable for the correct age, the company shall refund the excess premiums without any interest. In case of termination of the policy any unpaid balance will be adjusted from the benefit payout.

If at the correct age, the Life Assured was not insurable under this policy according to our requirements, we reserve the right to pay the premiums paid till date post deduction of any relevant cost, expenses or charges as applicable and terminate the policy in accordance with Section 45 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

Reference to Grievance Mechanism:

The contact details and procedure to be followed in case of any grievance in respect of this policy is provided in the document titled as "Grievance Redressal" as provided in Part G.

Compliance with statutes & Taxation:

It shall be solely your responsibility to ensure compliance with all applicable provisions of the Regulations, including taxation laws, and payment of all applicable taxes in respect of the premium and Benefits or other payouts made or received under this policy. We are entitled to make such deductions and/or levy such charges, present and future which in Our opinion are necessary and appropriate, from and/or on the Premium(s) payable or Benefit amounts receivable under the Policy on account of any income, withholding, service tax, sales tax, value added or other tax, cess, duty or other levy which is or may be imposed in relation to the Policy by any legislation, order, regulation or otherwise upon Us, You or the Claimant. It is agreed and understood that We shall not be liable for any taxes on any personal income of You or the Claimant. You acknowledge that you are solely responsible for understanding and complying with your tax obligations (including but not limited to, tax payment or filing of returns or other required documentation relating to the payment of all relevant taxes in all jurisdictions in which your tax obligations arise and relating to the Services provided by Us. We do not provide any tax advice. You are advised to seek independent legal and/or tax advice. We have no responsibility in respect of your tax obligations in any jurisdiction including but not limited to those that relate specifically to the Services provided by Us.

Communication and Dispatch:

We shall dispatch the policy documents communications and notices to you at the address through courier or post (ordinary/registered/speed post) for correspondence provided by you in the Proposal form or updated address provided to Us through written communication. In case the policy documents are returned undelivered, we may attempt to have the same delivered to you through alternative means.

Free-look period:

In case the policy terms and conditions are not agreeable to you then you can opt for a cancellation of your policy. If you decide to opt for cancellation, we would request you to send back this policy contract along with the reason for non-acceptance within 15 days from receipt of this document or 30 days in case the policy is sourced through Distance Marketing mode. In case you opt for cancellation within the said period, you will receive the Fund Value and any unallocated premium along with the charges deducted by cancellation of units. This amount will be paid subject only to deduction of the proportionate risk related charges, expenses incurred by us if any, on medical examination of the Life Assured, and stamp duty charges, as per applicable regulatory guidelines.

Replacement of Policy document:

We will replace a lost Policy document if We are satisfied that it is lost, but We reserve the right to make investigations and to call for evidence of the loss of the Policy document. If We issue a Policy document to replace the lost Policy document, then:

(i) The original Policy document shall cease to be applicable and You agree to indemnify Us from any and all losses, claims, demands or damages arising from or in connection with the original Policy document;

(ii) You shall not be entitled to any free look period on the duplicate Policy document issued. However the Company may permit free look cancellation in such cases where after investigation, it is evident that the Customer has not received the original policy bond.

(iii) No charge/fee will be levied for replacement of Policy document.

Suicide Clause:

(i) In case of death due to suicide within 12 months from the date of inception of the policy , the Claimant shall be entitled to fund value , as available on the date of death.

(ii) Any charges recovered subsequent to the date of death shall be paid back to the Claimant along with death benefit.

Claim Procedures:

In case of payment of policy benefits when the Life Assured is alive, the Claimant shall be the Policyholder. The Policyholder will have to contact the Company and submit the original Policy documents and any other documents as may be required by the Company.

In the event of death of the Life Assured, to register the claim under this policy ,the Claimant shall endeavor to tell us in writing immediately within a period of 60 days of such death through the Claim Form along with the following documents:

- Original policy document
- Death certificate
- Attested copy of photo identity and address proof of the Claimant
- Company Specific Claim formats duly completed and signed – Claim Form, Physician's Statement, Treating Hospital Certificate, Employer Certificate
- Hospital records/other medical records
- Post-mortem/ chemical viscera report, wherever conducted
- Police Records - First Information Report, Panchnama, Police Investigation Report, Final Police Report only in case of unnatural or accidental deaths.

If We do not receive notification of the death within 60 days, We may condone the delay if we are satisfied that the delay was for reasons beyond the Claimant's control. The claim shall be paid to the Claimant specified under the Policy.. The Company reserves the right to call for such documents or information, including documents/ information concerning the title of the Claimant, to the satisfaction of the Company for processing the claim.

For the Purposes of payment of death benefit, Claimant shall mean the following person(s)

(i) Where the Policyholder and Life Assured are different, Claimant shall be the Policyholder

(ii) Where Policyholder and Life Assured are same, Claimant shall be the Nominee (s)

(iii) Where Policyholder and Life Assured are same and there is no Nominee(s), then Claimant shall be the Policyholder's legal heir or legal representative or the holder of a succession certificate.

Any claim intimation to the Company must be made in writing and delivered to the address, which is currently:

Claims Unit:

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited,

Unitech Trade Centre, 2nd Floor, C-Block, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon

Haryana 122009 India

Resolution Centre: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)

Email id: claims.unit@canarahsbclife.in

Any change in the address or details above will be communicated by the Company to the Policyholder in writing.

For further details on the process, please visit our claims section on our website www.canarahsbclife.com

Electronic transactions:

In conducting electronic transactions, in respect of this Policy, you shall comply with all such terms and conditions as prescribed by us. Such electronic transactions are legally valid and shall be binding on You.

Governing Law & Jurisdiction:

This Policy and all disputes arising under or in relation to the Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indian law and by the Indian courts

Mis-Statement or Suppression of material facts and Fraud:

Fraud, Misrepresentation and forfeiture would be dealt with in accordance with provisions of Section 45 of the Insurance Act 1938 as amended from time to time. The entire Section 45 is reproduced and enclosed in **Annexure 6**.

भाग च.

सामान्य शर्तें :

इस पॉलिसी के तहत सभी विकल्प, अधिकार और बाध्यताएं पॉलिसीधारक के पास हैं और इन्हें पॉलिसीधारक / नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिसों द्वारा निर्वहन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

समनुदेशन :

समनुदेशन समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। संपूर्ण धारा 38 यहां पुन: प्रस्तुत है और **अनुलग्नक 4** में संलग्न है।

नामांकन :

नामांकन समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। संपूर्ण धारा 39 यहां पुन: प्रस्तुत है और **अनुलग्नक 5** में संलग्न है।

स्वनिर्णय :

हमें प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन सहित इस पॉलिसी के लाभों, इस पॉलिसी में अपरिवर्तित बने रहने के लिए विशिष्ट रूप से बताए गए प्रभारों के अलावा अन्य प्रभारों को सीमित नहीं करते हुए इसकी किसी भी शर्त और निबंधन, लेवी या प्रभारों की वसूली या निवेशों के मूल्यांकन और / या यूनिट लिंक्ड फंड की परिसंपत्तियों को और / या यूनिट मूल्य के निर्धारण की समीक्षा, संशोधन, विलोपन और / या परिवर्तन का अधिकार है। इस पॉलिसी की शर्तें भी समय समय पर इस पॉलिसी की शर्तों और निबंधनों को प्रभावित करने वाले विनियमों में बदलावों की सीमा तक बदली जाएंगी।

पॉलिसी मुद्रा :

सभी प्रीमियम और लाभों का भुगतान केवल भारतीय रुपए में किया जाएगा।

आयु का गलत विवरण :

पॉलिसीधारक / बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव और / या किसी विवरण में की गई घोषणा के आधार पर जमा की जाती है, जिसके साथ इस विषय में समर्थन दस्तावेज / प्रमाण होते हैं। यदि बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि गलत बताई गई है और इसके परिणामस्वरूप पॉलिसीधारक ने सही आयु के लिए देय प्रीमियम से कम राशि का भुगतान किया है तो कंपनी को इसे लेने की पात्रता होगी और पॉलिसी धारक ब्याज के बिना पॉलिसी के आरंभ होने के समय से उक्त प्रीमियम का अंतर भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

जीवन बीमा की पॉलिसी को इसे जारी करने की तिथि के तीन वर्ष के अंदर किसी भी समय या जोखिम आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी आरंभ दोबारा होने की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से विचाराधीन कहा जा सकता है, इनमें से जो भी बाद में हो, धोखाधडी के आधार पर : बशर्ते कि बीमाकर्ता के पास बीमित व्यक्ति के लिखित रूप में कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्ति या समनुदेशिती द्वारा उक्त आधार और सामग्री का संचार मौजूद हो, जिस पर यह निर्णय आधारित है।

यदि सही आयु पर बीमित व्यक्ति को इस पॉलिसी के तहत बीमा नहीं दिया गया है जो हमारी आवश्यकता के अनुसार है तो हमें अधिकार है कि कोई संगत लागत, व्यय या प्रभार की कटौती के बाद उस समय पर भुगतान किए गए प्रीमियम का भुगतान करें और पॉलिसी को समय समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार समाप्त किया जाएगा।

शिकायत प्रक्रिया का संदर्भ :

इस पॉलिसी के संबंध में किसी शिकायत के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और संपर्क के विवरण दस्तावेज में भाग छ में दिए गए "शिकायत निपटान" में प्रदान किए गए हैं।

कानूनों और कराधान का पालन :

यह पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है कि कराधान के कानूनों और प्रीमियम तथा लाभों के संबंध में सभी लागू करों के भुगतान या इस पॉलिसी के तहत किए गए या प्राप्त अन्य भुगतानों सहित विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। हमें उक्त कटौती और / या उक्त प्रभारों की लेवी की पात्रता है जो हमारी राय में देय प्रीमियम या लाभ राशि से वर्तमान और भविष्य में पॉलिसी के तहत किसी आय, धारण, सेवाकर, बिक्रीकर, मूल्यवर्धित या अन्य कर, उपकर, ड्यूटी या अन्य लेवी के शीर्ष में अनिवार्य तथा उपयुक्त हैं, जिन्हें हम, आप या नामांकित व्यक्तियों पर किसी विधान, आदेश, विनियम या अन्यथा पॉलिसी के संबंध में अधिरोपित किया गया है या किया जा सकता है। आप मानते हैं कि अपनी कर बाध्यताओं (इसके साथ किंतु इस तक सीमित नहीं), कर भुगतान या विवरणी जमा करना या आपके कर की उठने वाली सभी बाध्यताओं के क्षेत्राधिकार में सभी संगत करों के भुगतान से संबंधित अन्य आवश्यक और हमारे द्वारा दी गई सेवाओं से संबंधित दस्तावेज सहित। हम कर की कोई सलाह नहीं देते। आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वतंत्र कानूनी और / या कर परामर्श लें। हमारी आपके कर की बाध्यता के विषय में किसी क्षेत्राधिकार में कोई बाध्यता नहीं है किंतु यह उन सेवाओं तक विशेष रूप से संबंधित है जो हमारे द्वारा दी जाती हैं।

संचार और प्रेषण :

हम पॉलिसी के दस्तावेज के संप्रेषण तथा सूचनाएं प्रस्ताव प्रपत्र में आपके द्वारा दिए गए पत्राचार के पते पर कुरियर या डाक (साधारण / पंजीकृत / स्पीड पोस्ट) द्वारा भेजेंगे। यदि पॉलिसी दस्तावेज की प्रदायगी नहीं होती है और वापस आ जाता है तो हम वैकल्पिक साधनों से यह आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं।

फ्री लुक अवधि :

यदि आप पॉलिसी की शर्तों और निबंधनों के साथ सहमत नहीं हैं तो आप इस पॉलिसी को पॉलिसी संविदा के स्वीकार नहीं करने के कारण सहित होने पर पॉलिसी दस्तावेज प्राप्ति की तिथि के 15 दिनों या दूरस्थ विपणन विधि द्वारा भेजी गई पॉलिसी के मामले में 30 दिनों के अंदर इस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। यदि आप कथित अवधि के दौरान पॉलिसी को रद्द करते हैं तो आपको यूनिट रद्द करने से काटे गए प्रभारों के साथ अनाबंटित प्रीमियम और निधि मूल्य दिया जाएगा। यह राशि अनुपातिक रूप से जोखिम से संबंधित प्रभारों की कटौती, हमारे द्वारा किए गए बीमित व्यक्ति की चिकित्सा पर किए गए व्यय और स्टैम्प ड्यूटी काट कर लागू विनियामक दिशा निर्देशों के अनुसार बीमा कवर की अवधि के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि वापस की जाएगी।

पॉलिसी दस्तावेज बदलना :

यदि हमें संतुष्टि हो जाती है कि पॉलिसी दस्तावेज खो गया है तो हम इसे दोबारा देंगे, किन्तु हमें जांच करने और पॉलिसी दस्तावेज के खो जाने के साक्ष्य मांगने का अधिकार है। यदि हम खोए हुए पॉलिसी दस्तावेज को बदलने के लिए एक पॉलिसी दस्तावेज जारी करते हैं तो :

(i) मूल पॉलिसी दस्तावेज अप्रभावी हो जाएगा और आप हमें इसी और सभी लाभों, दावों, मामलों या क्षतियों की क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हैं जो मूल पॉलिसी दस्तावेज के संबंध में है;

(ii) आपको जारी किए गए डुप्लीकेट दस्तावेज पर किसी फ्री लुक अवधि की पात्रता नहीं होगी। जबकि कंपनी इन मामलों में फ्री लुक रद्द करने की अनुमति दे सकती है, जहां जांच के बाद यह यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राहक ने मूल पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त नहीं किया है।

(iii) पॉलिसी दस्तावेज बदलने का कोई प्रभार/शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आत्महत्या का खण्ड

(i) यदि आत्म हत्या के कारण पॉलिसी आरंभ होने की तिथि के 12 माह के अंदर आत्म हत्या होती है तो पॉलिसी धारक के नामांकित या लाभार्थी को निधि मूल्य की पात्रता होगी जो मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध है।

(ii) मृत्यु की तिथि के बाद वसूले गए प्रभार मृत्यु लाभ के साथ नामांकित या लाभार्थी को वापस दिए जाएंगे।

दावा प्रक्रियाएं

पॉलिसी लाभों के भुगतान के मामले में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर मौत होने पर दावाकर्ता पॉलिसीधारक होगा। पॉलिसीधारक को कंपनी द्वारा आवश्यक मूल पॉलिसी दस्तावेज तथा अन्य दस्तावेज जमा करना होंगे और कंपनी से संपर्क करना होगा।

बीमित व्यक्ति की मौत होने पर इस पॉलिसी के तहत दावा दर्ज करने के लिए नामांकित व्यक्ति निम्ननिलिखित दस्तावेजों के साथ दावे के फॉर्म के जरिए उक्त मौत के 60 दिनों के अंदर की अवधि में हमें तुरंत लिखित रूप से जानकारी देने का प्रयास करेगा :

- मूल पॉलिसी दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दावेदार के फोटो पहचान और पते के प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपि
- विधिवत पूरे और हस्ताक्षर किए कंपनी विशिष्ट दावा प्रारूप - दावा प्रपत्र, चिकित्सक के वक्तव्य, इलाज करने वाले अस्पताल का प्रमाणपत्र, नियोक्ता का प्रमाणपत्र
- अस्पताल के रिकॉर्ड / अन्य मेडिकल रिकॉर्ड
- पोस्टमार्टम / रासायनिक विसरा रिपोर्ट, जहाँ भी किया गया
- पुलिस रिकॉर्ड - प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा, पुलिस जांच रिपोर्ट, अंतिम पुलिस रिपोर्ट केवल अप्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु के मामले में।

यदि हमें 60 दिनों के अंदर मौत की अधिसूचना नहीं मिलती है तो हम इस विलंब पर ध्यान नहीं देंगे यदि हमें यह संतुष्टि है कि विलंब का कारण दावाकर्ता के नियंत्रण से बाहर है। दावे का भुगतान पॉलिसी में बताए गए नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा। यदि इनमें कोई नामांकित नहीं है या बीमित व्यक्ति के मौत के समय नामांकित व्यक्ति जीवित नहीं है तो दावे का भुगतान अदालत के निर्णय के अनुसार उसके/मृत्यु बीमित व्यक्ति के कानून वारिस को दिया जाएगा। कंपनी को जानकारी या उक्त सूचना सहित दावा कर्ता के शीर्षक से संबंधित दस्तावेजों/जानकारी को अपने दावे पर कार्रवाई के लिए कंपनी की संतुष्टि के अनुसार मांगने का अधिकार है।

मृत्यु लाभ के भुगतान के लिए दावेदार का अर्थ है निम्नलिखित व्यक्ति :

(i) जहां पॉलिसीधारक और बीमित व्यक्ति अलग अलग हैं, दावेदार पॉलिसीधारक होगा।

(ii) हां पॉलिसीधारक और बीमित व्यक्ति एक ही हैं, दावेदार नामांकित व्यक्ति होंगे।

(iii) जहां पॉलिसीधारक और बीमित व्यक्ति एक ही हैं और कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो दावेदार पॉलिसीधारक का कानूनी वारिस या कानूनी प्रतिनिधि या उत्तरवर्ती प्रमाणपत्र का धारक होगा।

कंपनी को दिया गया कोई भी दावा लिखित रूप में होना चाहिए और इसे निम्नलिखित वर्तमान पते पर भेजा जाए :

दावा इकाई :

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सुशांत लोक, फेस-1, सैक्टर-43, गुड़गांव-122009,

हरियाणा 122009 भारत

संसाधन केंद्र: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)

ई मेल आई डी : claims.unit@canarahsbclife.in

उपरोक्त पते या विवरण में किसी बदलाव की जानकारी कंपनी द्वारा पॉलिसी धारक को लिखित रूप में दी जाएगी।

प्रक्रिया पर अन्य विवरणों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.canarahsbclife.com के दावा अनुभाग को देखें।

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन:

इस पॉलिसी के विषय में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए आपको हमारे द्वारा बताई गई उक्त सभी शर्तों का पालन करना होगा। उक्त इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन कानूनी तौर पर वैध और आप के लिए बाध्यकारी है।

अभिशासी कानून और न्यायधिकार क्षेत्र :

यह पॉलिसी और इस पॉलिसी से संबंधित उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का अभिशासन भारतीय कानूनों और भारतीय अदालतों के अनुसार अभिशासित किया जाएगा और इसकी व्याख्या की जाएगी।

भौतिक तथ्यों को दबाना या गलत विवरण देना और धोखाधड़ी

धोखाधड़ी, गलत निरूपण और जब्ती का निपटान समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संपूर्ण धारा 45 यहां पुन: प्रस्तुत है और **अनुलग्नक 6** में संलग्न है।

Annexure 4

Section 38 "Assignment and Transfer of Insurance Policies" is reproduced below

38. (1) A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.

(2) An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section (1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bona fide or is not in the interest of the policy-holder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.

(3) The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policy-holder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.

(4) Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.

(5) Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:

Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.

(6) The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:

Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.

(7) Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.

(8) Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation.— Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of sub- section (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

(9) Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Ordinance, 2014 shall not be affected by the provisions of this section.

(10) Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that —
(a) the proceeds under the policy shall become payable to the policy-holder or the nominee or nominees in the event of either the assignee/or transferee predeceasing the insured; or

(b) the insured surviving the term of the policy, shall be valid:

Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

(11) In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policy-holder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

अनुलग्नक 4

धारा 38 "समनुदेशन और बीमा पॉलिसी का स्थानांतरण" यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है

38. (1) बीमा की एक पॉलिसी का स्थानांतरण या समनुदेशन, पूर्ण या आंशिक रूप से, विचार सहित या इसके बिना, स्वयं पॉलिसी पर केवल पृष्ठांकन किया गया हो या एक पृथक दस्तावेज द्वारा, स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर करने और कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापन करने पर खास तौर पर स्थानांतरण या समनुदेशन के तथ्य को सिद्ध करने और इसके कारणों के लिए, समनुदेशिती के पूर्ववृत्त और वे शर्तें जिस पर समनुदेशन किया गया है।

(2) एक बीमाकर्ता स्थानांतरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकता है या उप धारा (1) के तहत किए गए किसी पृष्ठांकन पर कार्रवाई हेतु इसे अस्वीकार कर सकता है, चाहे इसे मानने के पर्याप्त कारण है कि उक्त स्थानांतरण या समनुदेशन स्थायी नहीं है या यह पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या जनहित में नहीं है या बीमा पॉलिसी के व्यापार के प्रयोजन हेतु है।

(3) पृष्ठांकन पर कार्रवाई करना अस्वीकार करने से पहले बीमाकर्ता उक्त अस्वीकार करने के कारण लिखित रूप से दर्ज करेगा और इसकी जानकारी पॉलिसी धारक को उक्त स्थानांतरण या समनुदेशन की पॉलिसीधारक को सूचना देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर देगा।

(4) एक बीमाकर्ता द्वारा उक्त स्थानांतरण या समनुदेशन पर कार्रवाई करने से मना करने के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त अस्वीकार करने के लिए कारणों सहित बीमाकर्ता से संप्रेषण प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर इसका दावा प्राधिकरण के पास कर सकता है।

(5) उप धारा (2) के प्रावधानों के अधीन स्थानांतरण या समनुदेशन उक्त पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित दस्तावेज किन्तु सिवाए, यदि स्थानांतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, के निष्पादन पर पूर्ण और प्रभावी होगा, यह बीमाकर्ता के खिलाफ प्रचालित नहीं होगा और यह स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती या उसके कानूनी प्रतिनिधि और बाध्य नहीं होगा, उन्हें तब तक उक्त पॉलिसी या इसके जरिए अर्जित धनराशि के लिए अदालती कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक वे स्थानांतरण या समनुदेशन के लिए एक लिखित सूचना प्राप्त नहीं करते और कथित पृष्ठांकन या दस्तावेज अपने आप में या इसकी एक प्रति को दोनों स्थानांतरणकर्ता और स्थानांतरण पाने वाले व्यक्ति द्वारा सही नहीं किया जाता या उनके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को इसकी प्रदायगी की जाती है :

बशर्ते कि जहां बीमाकर्ता भारत में एक या अधिक स्थानों पर व्यापार करता है, उक्त सूचना की प्रदायगी केवल उन स्थानों पर की जाएगी जहां पॉलिसी पर सेवा प्रदान की जा रही है।

(6) वह तिथि जिस पर सूचना उपधारा (5) में संदर्भित बीमाकर्ता को भेजी गई है और यह स्थानांतरण या समनुदेशन के तहत सभी दावों की प्राथमिकता का नियमन करेगा, क्योंकि यह पॉलिसी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच है; और जहां स्थानांतरण या समनुदेशन के एक से अधिक दस्तावेज दावों की प्राथमिकता है और इन्हें उस क्रम में अभिशासित किया जाएगा जिसमें उपधारा (5) में संदर्भित सूचना की प्रदायगी की गई है :

बशर्ते समनुदेशितियों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के रूप में कोई विवाद उठने पर विवाद प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा।

(7) उपधारा (5) में संदर्भित सूचना प्राप्त होने पर बीमाकर्ता उक्त स्थानांतरण या समनुदेशन के तथ्य दर्ज करेगा और इस पर तिथि के साथ और स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती के नाम पर करेगा और उस व्यक्ति के अनुरोध पर, जिसके द्वारा सूचना दी गई थी, या स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती को मुक्त शुल्क के भुगतान पर, जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, उक्त सूचना की प्राप्ति की एक लिखित पावती प्रदान करेगा और ऐसी कोई पावती बीमाकर्ता के खिलाफ एक निर्णायक साक्ष्य होगी और उक्त पावती बीमाकर्ता के खिलाफ समापन साक्ष्य होगी कि उसे सूचना विधिवत प्राप्त हुई है, जिसके साथ उक्त पावती का संबंध है।

(8) स्थानांतरण या समनुदेशन की शर्तों और निबंधनों के अधीन बीमाकर्ता उपधारा (5) में संदर्भित सूचना प्राप्त होने की तिथि से स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती को पॉलिसी के तहत लाभ पाने की पात्रता के तौर पर परम स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती के रूप में सूचना देगा और उक्त व्यक्ति सभी देयताओं और साम्यताओं के अधीन, जो स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती पर स्थानांतरण या समनुदेशन की तिथि पर लागू थीं और ये पॉलिसी के संदर्भ में कोई कार्रवाई कर सकती थी, पॉलिसी के तहत कोई ऋण लिया जा सकता था, पॉलिसी के तहत इसके अभ्यर्पण के लिए स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती की सहमति नहीं ली गई या उसे कार्रवाई में एक पार्टी बना दिया गया।

व्याख्या - सिवाए जहां उपधारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन अभिव्यक्त रूप से संकेत करते हैं कि समुदेशन या स्थानांतरण उपधारा (10) के संदर्भ में शर्त युक्त है, निम्नानुसार प्रत्येक स्थानांतरण या समनुदेशन को परम समनुदेशन या स्थानांतरण माना जाएगा और समनुदेशिती या स्थानांतरणकर्ता, जैसा भी मामला हो, क्रमश: परम समनुदेशिती या स्थानांतरणकर्ता माने जाएंगे।

(9) एक स्थानांतरण या समनुदेशन के तहत जीवन बीमा की पॉलिसी के एक समनुदेशिती या स्थानांतरणकर्ता के किसी अधिकार और उपचार को बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014 आरंभ होने के पहले प्रभावी किया गया हो तो उन्हें इस धारा के प्रावधानों से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

(10) किसी कानून या रीति में शामिल नहीं होने के बावजूद कानून के उल्लंघन में एक व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस शर्त पर किया जाएगा कि -

क. पॉलिसी के तहत प्राप्तियां बीमित व्यक्ति की मौत पहले हो जाने पर पॉलिसीधारक या नामांकित या समनुदेशिती / या स्थानांतरणकर्ता को देय होंगी या

ख. पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहने वाले बीमित व्यक्ति को वैधता होगी :

ग. बशर्ते कि एक शर्त युक्त समनुदेशिती को पॉलिसी या एक पॉलिसी के अभ्यर्पण पर ऋण लेने की पात्रता नहीं होगी।

(11) उपधारा (1) के तहत बीमा पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या स्थानांतरण के मामले में बीमाकर्ता की जिम्मेदारी आंशिक समनुदेशन या स्थानांतरण द्वारा अर्जित राशि तक सीमित होगी और उक्त पॉलिसीधारक को उसी पॉलिसी के तहत बची हुई देय राशि के आगे समनुदेशन या स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

Annexure 5

Section 39 “Nomination by Policyholder” is reproduced below

39. (1) The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy-holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by the policy in the event of his death during the minority of the nominee.

(2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

(3) The insurer shall furnish to the policyholder a written acknowledgment of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

(4) A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its re-assignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer’s interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policy-holder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policy-holder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

(5) Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policy-holder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.

(6) Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.

(7) Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.

(8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.

(9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.

(10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Ordinance, 2014.

(11) Where a policy-holder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceeds and benefit of his policy.

(12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women’s Property Act, 1874, applies or has at any time applied:

Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Ordinance, 2014, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

धारा 39 "पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन" यहां पुन: प्रस्तुत है

39. (1) एक बीमा पॉलिसी के धारक द्वारा अपने जीवन पर, जब एक पॉलिसी को लागू किया जाता है या भुगतान के लिए पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी समय वह व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है जिन्हें पॉलिसी द्वारा अर्जित धनराशि का भुगतान उसकी मौत होने पर किया जाएगा :
बशर्ते कि जहां नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, यह पॉलिसीधारक के लिए कानूनी तौर पर जरूरी है कि वह बीमाकर्ता द्वारा बताए गए तरीके से किसी व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के नाबालिग रहने की अवधि के दौरान उसकी मौत होने पर पॉलिसी पर प्राप्त धनराशि ग्रहण कर सके।

(2) ऐसा कोई नामांकन तभी प्रभावी होगा जब तक इसे स्वयं पॉलिसी के पाठ में निहित नहीं किया जाता, जिसे बीमाकर्ता को संप्रेषित पॉलिसी के पृष्ठांकन में बताया जाए और उसे पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए और ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने के समय से पहले किसी भी समय पृष्ठांकन द्वारा रद्द किए या बदले जा सकते हैं या इनका आगे पृष्ठांकन या वसीयत की जा सकती है, जैसा भी मामला, किन्तु जब तक उक्त रद्द करने या बदलने की लिखित सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी जाती, बीमाकर्ता उसके द्वारा मूल पॉलिसी में किए गए पॉलिसी के पाठ में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड में पंजीकृत नामांकित व्यक्ति को किसी भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(3) बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को एक व्यक्ति के नामांकन को दर्ज करने या इसके रद्द करने या बदलने की लिखित पावती दी जाएगी और इसके लिए उक्त रद्द या परिवर्तन के पंजीकरण के लिए विनियमों में निर्दिष्ट उक्त शुल्क प्रभारित किया जाए।

(4) एक पॉलिसी में धारा 38 के अनुसार किए गए स्थानांतरण या समनुदेशन में स्वत: ही एक नामांकन रद्द हो जाएगा :

बशर्ते कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जिस पर समनुदेशन के समय पॉलिसी में एक जोखिम शामिल है, उस बीमाकर्ता द्वारा अभ्यर्पण मूल्य के अंदर पॉलिसी की प्रतिभूति पर दिए गए ऋण को विचार में लेकर या ऋण के पुनर्भुगतान पर इसके पुन: समनुदेशन से नामांकन रद्द नहीं होगा, किन्तु इससे नामांकित व्यक्ति के अधिकारों पर पॉलिसी में बीमाकर्ता के हित की सीमा तक प्रभाव पड़ेगा :

बशर्ते पुन: एक पॉलिसी का स्थानांतरण या समनुदेशन, चाहे पूर्ण या आंशिक रूप से, पॉलिसीधारक को स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती द्वारा अग्रेषित ऋण को विचार में लेकर नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा बल्कि इससे पॉलिसी में स्थानांतरणकर्ता या समनुदेशिती के हित की सीमा तक नामांकित व्यक्ति के अधिकारों पर असर होगा, जैसा भी मामला हो :

बशर्ते कि नामांकन भी स्थानांतरण या समनुदेशन के परिणामस्वरूप स्वत: रद्द हो जाता है, यही नामांकन अपने आप दोबारा आरंभ किया जाएगा जब पॉलिसी को बीमाकर्ता के पास पॉलिसी की प्रतिभूति पर ऋण के पुन: भुगतान के अलावा पॉलिसीधारक के पक्ष में स्थानांतरणकर्ता द्वारा स्थानांतरित या समनुदेशिती द्वारा समनुदेशित किया जाता है।

(5) यह व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान पॉलिसी भुगतान हेतु परिपक्व हो जाती है, जिसका जीवन बीमित है या जहां नामांकित व्यक्ति या यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं और सभी नामांकित व्यक्तियों की मौत भुगतान के लिए पॉलिसी के परिपक्व होने के पहले हो जाती है तो पॉलिसी से प्राप्त धनराशि पॉलिसीधारक या उसके कानूनी प्रतिनिधि या वारिस या उत्तरवर्ती प्रमाणपत्र धारक को देय होगी, जैसा भी मामला हो।

(6) जहां नामांकित व्यक्ति या एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं, बीमित व्यक्ति के बाद नामांकित व्यक्ति जीवित रहता है तो पॉलिसी से प्राप्त राशि उक्त उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को देय होगी।

(7) इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी धारक द्वारा अपने जीवन में अपने माता पिता या जीवनसाथी या बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या इनमें से किसी को नामांकित किया जाता है तो नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को उपधारा (6) के तहत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि को पाने की पात्रता होगी, जब तक यह सिद्ध किया जाता है कि पॉलिसीधारक इस पॉलिसी पर अपने शीर्षक के प्रकार के विषय में नामांकित व्यक्ति पर कोई लाभकारी शीर्षक प्रदान नहीं कर सका।

(8) उपरोक्त कथित के अधीन, जहां नामांकित व्यक्ति या एक से अधिक नामांकित व्यक्ति होने पर, उपधारा (7) के नामांकित या नामांकित व्यक्तियों की मौत बीमित व्यक्ति के बाद होती है किन्तु उसके पहले पॉलिसी से प्राप्त राशि का भुगतान हो जाता है तो पॉलिसी से अर्जित राशि या पॉलिसी द्वारा अर्जित उक्त राशि नामांकित या इस प्रकार मरने वाले नामांकित व्यक्तियों (जैसा भी मामला हो) का हिस्सा प्रदर्शित करती है तो यह नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्तियों के वारिसों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तरवर्ती प्रमाणपत्र धारकों को देय होगी, जैसा भी मामला हो और वे उक्त राशि को पाने का लाभ उठाएंगे।

(9) उपधारा (7) और (8) में निहित होने के बावजूद यह जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की प्राप्तियों में से किसी उधारकर्ता के अधिकार को नष्ट या बाधित नहीं करेगी।

(10) उपधारा (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014 आरंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली सभी जीवन बीमा पॉलिसी पर लागू होंगे।

(11) जहां पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, किन्तु उसकी पॉलिसी की प्राप्तियां और लाभ उसकी मृत्यु के कारण उसे नहीं दिए गए हैं, ऐसे मामले में उसके नामांकित व्यक्ति को उसकी पॉलिसी की प्राप्तियों और लाभ पाने की पात्रता होगी।

(12) इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे जिस पर विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 लागू होती है या किसी समय लागू हुई है :

बशर्ते कि जहां नामांकन बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014 आरंभ होने के पहले या बाद उस व्यक्ति की पत्नी के पक्ष में किया गया है जिसका जीवन बीमा किया गया या उसके पत्नी और बच्चों के पक्ष में या इनमें से किसी को अभिव्यक्त किया गया है, चाहे यह पॉलिसी के आमुख में है या नहीं, जैसा कि इस धारा में किया जा रहा है, कथित धारा 6 इस पर लागू होगी या पॉलिसी पर लागू नहीं होती है।

Annexure 6

Section 45 "Policy not to be called in question on ground of misstatement after three years" is reproduced below-

(1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e., from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

(2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground of fraud: Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I- For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:

(a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;

(b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;

(c) any other act fitted to deceive; and

(d) any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent.

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is , in itself, equivalent to speak.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the mis-statement of a or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such mis-statement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation –A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

(4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on ground of fraud, the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation- For the purposes of this sub-section, the mis-statement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

(5) Nothing in this sections shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

अनुलग्नक 6

धारा 45 "तीन वर्ष बाद गलत वक्तव्य के आधार पर विचाराधीन नहीं कहा जाए" यहां पुन: प्रस्तुत है -

(1) किसी जीवन बीमा पॉलिसी को उसकी तिथि समाप्त होने के तीन वर्ष बाद किसी भी आधार पर विचाराधीन नहीं कहा जाएगा, अर्थात् पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुन: आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, इसमें से जो भी बाद में हो।

(2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुन: आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, इसमें से जो भी बाद में हो, के तीन वर्ष बाद किसी भी समय इसे विचाराधीन नहीं कहा जाएगा : बशर्ते कि बीमाकर्ता ने बीमित व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित या बीमित व्यक्ति के समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्री की सूचना दी है जिन पर उक्त निर्णय आधारित है।

व्याख्या 1 - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति 'धोखाधड़ी' का अर्थ है बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा एक जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए बीमाकर्ता को धोखा देने के आशय या उद्दीपित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई कार्य किया गया हो :

क) सुझाव, एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसमें बीमित व्यक्ति को सत्य होने का विश्वास नहीं है;
ख) बीमित व्यक्ति द्वारा तथ्य का ज्ञान या मान्यता होने के बाद तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना;
ग) धोखाधड़ी का अन्य कोई कार्य, और
घ) ऐसा कोई कार्य या विलोपन जो कानून के तौर पर खास तौर से धोखा घोषित किया गया है।

व्याख्या 2 - केवल मौन रहना क्योंकि तथ्यों से बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन पर प्रभाव होने की संभावना है, धोखा नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियां इस प्रकार नहीं हों जो उन्हें दर्शाती हैं, यह बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का दायित्व है, बोलने से मौन रहना, जब तक उनका मौन अपने आप में बोलने के बराबर है।

(3) उपधारा (2) में निहित होने के बावजूद कि कोई बीमाकर्ता धोखाधड़ी के आधार पर एक जीवन बीमा पॉलिसी का परित्याग नहीं करेगा यदि बीमित व्यक्ति सिद्ध कर सके कि गलत विवरण या वास्तविक तथ्यों को दबाना उसके सर्वोत्तम ज्ञान और मान्यता के अनुसार सत्य था या इसमें तथ्यों को दबाने का आशय जानबूझकर नहीं किया गया था या वास्तविक तथ्यों को दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है :

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में अननुमोदित करने का दायित्व लाभार्थी पर होता है, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।
व्याख्या - एक व्यक्ति जो बीमा की संविदा प्राप्त और उस पर मोल तोल करता है, उसे संविदा बनाने के प्रयोजन हेतु बीमाकर्ता का एजेंट माना जाएगा।

(4) एक जीवन बीमा पॉलिसी को उसकी तिथि समाप्त होने के तीन वर्ष बाद किसी भी आधार पर विचाराधीन नहीं कहा जाएगा, अर्थात् पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुन: आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, इसमें से जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि कोई गलत विवरण या वास्तविक तथ्यों को दबाकर बीमित व्यक्ति की जीवन अपेक्षा प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज में गलत रूप में दी गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुन: आरंभ की गई या राइडर जारी किया गया :

बशर्ते कि बीमाकर्ता ने इस आधार पर बीमित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधियों या नामांकित या समनुदेशितियों को वह आधार और सामग्री लिखित रूप से बताए थे जिन पर आधारित जीवनबीमा पॉलिसी के परित्याग का उक्त निर्णय आधारित है :

बशर्ते पुन: गलत विवरण या वास्तविक तथ्यों को दबाने के आधार पर या धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, परित्याग की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमित या कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के समनुदेशितियों को उक्त परित्याग की तिथि के 90 दिनों के अंदर की अवधि में किया जाएगा।

व्याख्या - इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु गलत विवरण या तथ्यों को दबाने पर तब तक सामग्री को दबाना नहीं माना जाएगा जब तक इससे बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, यह बीमाकर्ता का दायित्व है कि वह दर्शाए कि बीमाकर्ता को कथित तथ्य की जानकारी है कि बीमित व्यक्ति को कोई बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी।

(5) इन धाराओं में कोई भी बिन्दु बीमाकर्ता को किसी भी समय उसकी आयु का प्रमाण मांगने से नहीं रोक सकता यदि उसे ऐसा करने की पात्रता है और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए विचाराधीन नहीं माना जा सकता कि पॉलिसी की शर्तों को इस प्रमाण पर समायोजित किया गया है कि बीमित व्यक्ति का जीवन प्रस्ताव में गलत तरीके से बताया गया है।

GRIEVANCE REDRESSAL PROCEDURE

We, at Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life strive to ensure that our customers get only the very best of service from us. We understand the customer's grievance and try to resolve the same by ascertaining all the facts and documents available to provide a fair resolution on the complaint.

1. In case you wish to register a complaint with us, you may visit our website, approach our Resolution Centre, Grievance Officers at Hub locations, or you may write to us at the following address:

   Complaint Redressal Unit
   Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. . (IRDA Regn. No. 136)
   Unitech Trade Centre, 2nd Floor,
   Sushant Lok, Phase-1, C Block,
   Sector-43,
   Gurgaon-122009, Haryana, India
   Toll Free: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)
   Email: cru@canarahsbclife.in

   We shall respond to you within 15 days from the date of our receiving your complaint. Kindly note that in case we do not receive revert from you within eight weeks from the date of your receipt of our response we will treat your complaint as closed.

2. In case you are not satisfied with the decision of the above office, or have not received any response within 15 days, you may contact the following official for resolution:
   The Grievance Redressal Officer
   Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. (IRDA Regn. No. 136)
   Unitech Trade Centre, 2nd Floor,
   Sushant Lok, Phase-1, C Block,
   Sector-43,
   Gurgaon-122009, Haryana, India
   Toll Free: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)
   Email: cro@canarahsbclife.in

3. In case you are not satisfied with the decision/resolution of the Company, you may approach the Insurance Ombudsman of your State for redressal of your grievance. Details related to Insurance Ombudsman have been provided in the policy pack.
   You may approach the Insurance Ombudsman if your grievance pertains to:

   Insurance claims that has been rejected or dispute of a claim on legal construction of the policy.
   Delay in settlement of claim
   Dispute with regard to premium
   Non receipt of your insurance document

   The complaint should be made in writing duly signed by the complainant or by his legal heirs with full details of the complaint and the contact information of complainant.

   - As per provision 13(3)of the Redressal of Public Grievances Rules 1998,

   The complaint to the Ombudsman can be made

   - only if the grievance has been rejected by the Grievance Redressal Machinery of the Insurer
   - within a period of one year from the date of rejection by the insurer
   - if it is not simultaneously under any litigation.

शिकायत निवारण प्रक्रिया

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ़ में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे ग्राहकों को हमारी ओर से केवल सबसे अच्छी सेवा प्राप्त हो।हम ग्राहकों की शिकायतों को समझते हैं और शिकायत का निष्पक्ष समाधान प्रदान करने के लिए उपलब्ध सभी तथ्यों और दस्तावेज़ों की जाँच करके इनका समाधान करने का प्रयास करते हैं।

1. अगर आप हमारे पास कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे समाधान केंद्र, हब कार्यालयों पर मौजूद शिकायत अधिकारियों तक पहुँच सकते हैं, या आप निम्न पते पर हमें लिख सकते हैं:

   शिकायत निवारण इकाई
   केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ़ इंश्योरेंस कं. लि. (आईआरडीए पंजीकरण संख्या 136)
   यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल,
   सुशांत लोक, फेस-1, सी-ब्लॉक,
   सेक्टर-43,
   गुड़गाँव-122009, हरियाणा, भारत
   टॉल फ़्री: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल)
   ईमेल: cru@canarahsbclife.in

   आपकी शिकायत हमारे पास पहुँचने की तिथि से 15 दिन के अंदर हम आपको उत्तर देंगे।कृपया ध्यान दें कि आपको हमारा उत्तर प्राप्त होने की तिथि के बाद अगर हमें आठ सप्ताह तक आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो हम समझेंगे कि आपकी शिकायत का समाधान हो चुका है।

2. उक्त कार्यालय के निर्णय से संतुष्ट न होने, या 15 दिन के अंदर कोई जवाब प्राप्त न होने के मामले में, आप समाधान के लिए निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं: :

   शिकायत समाधान अधिकारी
   केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ़ इंश्योरेंस कं. लि. (आईआरडीए पंजीकरण संख्या 136)
   यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल,
   सुशांत लोक, फेस-1, सी-ब्लॉक,
   सेक्टर-43,
   गुड़गाँव-122009, हरियाणा, भारत
   टॉल फ़्री: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल)
   ईमेल: cro@canarahsbclife.in

3. कंपनी के निर्णय/समाधान से संतुष्ट न होने के मामले में, आप अपनी शिकायत के समाधान के लिए अपने राज्य के बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। बीमा लोकपाल के संबंध में विवरण पॉलिसी पैक में उपलब्ध कराया गया है। यदि शिकायत निम्नलिखित से संबंधित है तो आप बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं :

   बीमा दावा जो अस्वीकार कर दिया गया है या पॉलिसी की कानूनी संरचना पर विवाद
   दावा निर्धारण में देरी
   प्रीमियम संबंधी विवाद
   आपको बीमा कागजात प्राप्त न होना

   शिकायती को अपने या अपने कानूनी उत्तराधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर के साथ पूरा विवरण देते हुए लिखित रूप में शिकायत करनी चाहिए तथा उसमें शिकायती की संपर्क सूचना भी होनी चाहिए।

   - जन शिकायत समाधान नियम, 1998 के प्रावधान 13(3) के अनुसार,

लोकपाल को शिकायत की जा सकती है

- सिर्फ तभी यदि बीमाकर्ता के शिकायत समाधान अधिकारी ने शिकायत ठुकरा दी हो
- बीमाकर्ता के ठुकराने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर
- यदि साथ-साथ कोई मुकदमा न किया गया हो

Names of Ombudsman and Addresses of Ombudsmen Centres / लोकपाल के नाम और लोकपाल केंद्रों के पते

Office of the Ombudsman लोकपाल काकार्यालय	Contact Details संपर्क का विवरण		Areas of Jurisdiction अधिकार क्षेत्र
AHMEDABAD **अहमदाबाद**	Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, Ambica House, Nr. C.U. Shah College, Ashram Road, **AHMEDABAD-380 014.** Tel.: 079-27545441/ 27546139 Fax : 079-27546142 Email: bimalokpal.ahmedabad@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, दूसरी मंज़िल, अंबिका हाउस, सी.यू. शाह कॉलेज के पास, आश्रम रोड़, **अहमदाबाद-380 014.** फोनः 079-27545441/ 27546139 फैक्सः 079-27546142 ईमेलः bimalokpal.ahmedabad@gbic.co.in	Gujarat, UT of Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
BHOPAL **भोपाल**	Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, Janak Vihar Complex, 6, Malviya Nagar, Opp. Airtel, Near New Market, **BHOPAL(M.P.)-462 003.** Tel.:- 0755-2769201/9202 Fax : 0755-2769203 Email: bimalokpal.bhopal@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, दूसरी मंज़िल, जनक विहार कामप्लेक्स, 6, मालविया नगर, एयरटेल के सामने, न्यू मार्केट के पास, **भोपाल (एम.पी.)-462 003.** फोनः 0755-2769201/9202 फैक्सः 0755-2769203 ईमेलः bimalokpal.bhopal@gbic.co.in	Madhya Pradesh & Chhattisgarh मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
BHUBANESHWAR **भुवनेश्वर**	Office of the Insurance Ombudsman, 62, Forest Park, **BHUBANESHWAR-751 009.** Tel.:- 0674-2596455/2596003 Fax : 0674-2596429 Email: bimalokpal.bhubaneswar@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, 62, फोरेस्ट पार्क, **भुवनेश्वर-751 009.** फोनः 0674-2596455/2596003 फैक्सः 0674-2596429 ईमेलः bimalokpal.bhubaneswar@gbic.co.in	Odisha उडीशा
CHANDIGARH **चंडीगढ़**	Office of the Insurance Ombudsman, S.C.O. No.101-103, 2nd Floor, Batra Building, Sector 17-D, **CHANDIGARH-160 017.** Tel.:- 0172-2706468/2705861 Fax : 0172-2708274 Email: bimalokpal.chandigarh@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, एस.सी.ओ. नं. 101-103, दूसरी मंज़िल, बत्रा बिल्डिंग सेक्टर 17-डी, **चंडीगढ-160017.** फोनः 0172-2706468/2705861 फैक्सः 0172-2708274 ईमेलः bimalokpal.chandigarh@gbic.co.in	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, UT of Chandigarh पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
CHENNAI **चेन्नई**	Office of the Insurance Ombudsman, Fathima Akhtar Court, 4th Floor, 453 (old 312), Anna Salai, Teynampet, **CHENNAI-600 018.** Tel.:- 044-24333668 /24335284 Fax : 044-24333664 Email: bimalokpal.chennai@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथी मंज़िल, 453, (पुराना 312), अन्ना सालाई, तेनमपेट, **चेन्नई-600 018.** फोनः 044-24333668 /24335284 फैक्सः 044-24333664 ईमेलः bimalokpal.chennai@gbic.co.in	Tamil Nadu, UT–Pondicherry Town and Karaikal (which are part of UT of Pondicherry) तमिलनाडू, केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी टाउन और कराईकल (जो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के भाग है)
NEW DELHI **नई दिल्ली**	Office of the Insurance Ombudsman, 2/2 A, Universal Insurance Bldg., Asaf Ali Road, **NEW DELHI-110 002.** Tel.:- 011-23237539/23232481 Fax : 011-23230858 Email: bimalokpal.delhi@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, 2/2 ए, यूनिवर्सल इन्श्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड़, **नई दिल्ली-110 002.** फोनः 011-23237539/23232481 फैक्सः 011-23230858 ईमेलः bimalokpal.delhi@gbic.co.in	Delhi दिल्ली

Names of Ombudsman and Addresses of Ombudsmen Centres / लोकपाल के नाम और लोकपाल केंद्रों के पते

Office of the Ombudsman **लोकपाल का कार्यालय**	**Contact Details संपर्क का विवरण**		**Areas of Jurisdiction अधिकार क्षेत्र**
GUWAHATI गुवाहाटी	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, "Jeevan Nivesh", 5th Floor, Near Panbazar Overbridge, S.S. Road, **GUWAHATI-781 001 (ASSAM).** Tel.:- 0361-2132204/5 Fax : 0361-2732937 Email: bimalokpal.guwahati@gbic.co.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल का कार्यालय, जीवन निवेश, पांचवी मंज़िल, पान बाज़ार ओबर ब्रिज के पास, एस.एस. रोड़, **गुवाहाटी-781 001 (असम).** फोनः 0361-2132204/5 फैक्सः 0361-2732937 ईमेलः bimalokpal.guwahati@gbic.co.in	Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland and Tripura असम, मेघालया, मणिपुर, मिज़ोरम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा
HYDERABAD हैदराबाद	Office of the Insurance Ombudsman, 6-2-46, 1st Floor, Moin Court, A.C. Guards, Lakdi-Ka-Pool, **HYDERABAD-500 004.** Tel : 040-65504123/23312122 Fax: 040-23376599 Email: bimalokpal.hyderabad@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, 6-2-46, पहली मंज़िल, मोइन कोर्ट, ए.सी. गार्डस, लकड़ी का पुल, **हैदराबाद-500 004.** फोनः 040-65504123/23312122 फैक्सः 040-23376599 ईमेलः bimalokpal.hyderabad@gbic.co.in	Andhra Pradesh and UT of Yanam – a part of the UT of Pondicherry आंध्र प्रदेश और यनम – केंद्र शासित प्रदेश – पांडिचेरी का एक भाग
KOCHI कोचि	Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, CC 27/2603, Pulinat Bldg., Opp. Cochin Shipyard, M.G. Road, **ERNAKULAM-682 015.** Tel : 0484-2358759/2359338 Fax : 0484-2359336 Email: bimalokpal.ernakulam@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, दूसरी मंज़िल, सीसी 27/2603, पुल्लीनॉट बिल्डिंग, कोचिन शिपयार्ड के सामने, एमजी रोड़, **इर्णाकुलम-682015.** फोनः 0484-2358759/2359338 फैक्सः 0484-2359336 ईमेलः bimalokpal.ernakulam@gbic.co.in	Kerala , UT of (a) Lakshadweep , (b) Mahe – a part of UT of Pondicherry केरल, केंद्र शासित प्रदेश – (क) लक्षद्वीप (ख) माहे– पांडिचेरी का एक भाग
KOLKATA कोलकाता	Office of the Insurance Ombudsman, Hindustan Bldg. Annexe, 4th Floor, C.R. Avenue, **Kolkatta – 700 072.** Tel : 033-22124339/22124340 Fax : 033-22124341 Email: bimalokpal.kolkata@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, हिन्दुस्थान बिल्डिंग, ऐनेक्स, चौथी मंज़िल, सी. आर. ऐवन्यू, **कोलकाता-700 072.** फोनः 033-22124339/22124340 फैक्सः 033-22124341 ईमेलः bimalokpal.kolkata@gbic.co.in	West Bengal, Bihar, Jharkhand and UT of Andeman & Nicobar Islands, Sikkim पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और केन्द्रशासित प्रदेश – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम
LUCKNOW लखनऊ	Office of the Insurance Ombudsman, Jeevan Bhawan, Phase-2, 6th Floor, Nawal Kishore Road, Hazaratganj, **LUCKNOW-226 001.** Tel : 0522 -2231331/2231330 Fax : 0522-2231310 Email: bimalokpal.lucknow@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, जीवन भवन फेस-2, छठी मंज़िल, नवल किशोर रोड़, हज़रतगंज़ **लखनऊ-226 001.** फोनः 0522 -2231331/2231330 फैक्सः 0522-2231310 ईमेलः bimalokpal.lucknow@gbic.co.in	Uttar Pradesh and Uttaranchal उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
MUMBAI मुंबई	Office of the Insurance Ombudsman, 3rd Floor, Jeevan Seva Annexe, S.V. Road, Santacruz(W), **MUMBAI-400 054.** Tel : 022-26106928/26106552 Fax : 022-26106052 Email: bimalokpal.mumbai@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, तीसरी मंज़िल, जीवन सेवा एनैक्सी, एस.वी. रोड़, सांताक्रूज़ (वेस्ट), **मुंबई-400 054.** फोनः 022-26106928/26106552 फैक्सः 022-26106052 ईमेलः bimalokpal.mumbai@gbic.co.in	Goa, Mumbai Metropolitan region excluding areas of Navi Mumbai and Thane नवी मुंबई और ठाणे के क्षेत्र को छोड़कर गोवा, मुंबई महानगर का क्षेत्र

Names of Ombudsman and Addresses of Ombudsmen Centres / लोकपाल के नाम और लोकपाल केंद्रों के पते

Office of the Ombudsman **लोकपाल का कार्यालय**	**Contact Details** **संपर्क का विवरण**		**Areas of Jurisdiction** **अधिकार क्षेत्र**
JAIPUR **जयपुर**	Office of the Insurance Ombudsman, Ground Floor, Jeevan Nidhi II, Bhawani Singh Road, **JAIPUR – 302005** Tel : 0141-2740363 Email: bimalokpal.jaipur@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, जीवन निधि II, भवानी सिंह रोड, **जयपुर - 302005.** फोनः 0141-2740363 ईमेलः bimalokpal.jaipur@gbic.co.in	Rajasthan राजस्थान
PUNE **पुणे**	Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, Jeevan Darshan, N.C. Kelkar Road, Narayanpet, **PUNE – 411030.** Tel: 020-32341320 Email: bimalokpal.pune@gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, दूसरी मंज़िल, जीवन दर्शन, एन. सी. केलकर रोड, नारायणपेट, **पुणे - 411030.** फोनः 020-32341320 ईमेलः bimalokpal.pune@gbic.co.in	Maharashtra, area of Navi Mumbai and Thane excluding Mumbai Metropolitan region. मुंबई महानगर क्षेत्र को छोड़कर महाराष्ट्र, नवी मुंबई और ठाणे का क्षेत्र।
BENGALURU **बंगलुरू**	Office of the Insurance Ombudsman, 24th Main Road, Jeevan Soudha Bldg. JP Nagar, 1st Phase, **BENGALURU – 560025.** Tel: 080-22222049/22222048 Email: bimalokpal.bengaluru @gbic.co.in	बीमा लोकपाल का कार्यालय, 24 मेन रोड, जीवन सुधा बिल्डिंग जे पी नगर, प्रथम चरण, **बंगलुरू - 560025.** फोनः 080-22222049/22222048 ईमेलः bimalokpal.bengaluru @gbic.co.in	Karnataka कर्नाटक

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDA Regn. No. 136)

केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड (आईआरडीए पंजीकरण संख्या 136)

Office Address /कार्यालय का पता

Unitech Trade Centre, 2nd Floor, C-Block, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India

यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009, हरियाणा, भारत

S.No.	Branch Locations / शाखा कार्यालयों के पते
1	**Agra:** Padam Business Park, Unit No-202, Second Floor, Plot No INS-1, Sector 12-A, Awas Vikas Sikandra Yojna, Agra - 282007, U.P., Tel: 0562-6450245 (UIN: 101) **आगरा:** पद्म बिज़नेस पार्क, यूनिट नं. 202, दूसरी मंजिल, प्लाट नं.INS-1, सेक्टर 12-ए, आवास विकास सिकंदरा योजना, आगरा - 282007, उ.प्र., फोनः 0562-6450245 (UIN: 101)
2	**Ahmedabad:** Abhijeet III, 302, 3rd Floor, Opp. Mayor's Bungalow, Near Mithakali Six Roads, Ahmedabad - 380006, Gujarat,Tel: 079-65150008 (UIN: 102) **अहमदाबाद:** अभिजीत III, 302, तीसरी मंज़िल, मेयर के बंगले के सामने, मीठाखली सिक्स रोड के पास, अहमदाबाद - 380006, गुजरात, फोनः 079-65150008 (UIN: 102)
3	**Amritsar :** 32-A,Third Floor, Cee Tee Mall, The Mall, Amritsar- 143001, Punjab, Tel: 0183-6540125 (UIN: 103) **अमृतसर:** 32-ए, तीसरी मंजिल, सी.टी. मॉल, द मॉल, अमृतसर-143001, पंजाब, फोनः 079-65150008 (UIN: 103)
4	**Bengaluru:** 3rd Floor, Brigade Square, No.21 Cambridge Road, Ulsoor, Bengaluru - 560 008, Karnataka, Tel: 080-65697874 (UIN: 104) **बैंगलुरू:** तीसरी मंज़िल, ब्रिगेड स्कवेयर, नं. 21, कैम्ब्रिज रोड, उलसूर, बैंगलूरू - 560 008, कर्नाटक, फोनः 080-65697874 (UIN: 104)
5	**Bhopal:** Plot No. 238-A, III Floor, "Shashwat Tower", Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal - 462011, M.P., Tel: 0755-6450199 (UIN: 107) **भोपाल:** प्लाट नं. 238-ए, तीसरी मंजिल, "शाश्वतटावर", जोन-I, एम.पी. नगर, भोपाल-462011, म.प्र., फोनः 0755-6450199 (UIN: 107)
6	**Bhubaneswar:** Flat No. 202, 2nd Floor, Yasodhara Enclave, 731, Saheed Nagar, Bhubaneshwar- 751007, Odisha, Tel: 0674-3269550 (UIN: 108) **भुवनेश्वर:** फ्लैट नं. 202, दूसरी मंजिल, यशोदरा एनक्लेव, 731, शाहिद नगर, भुवनेश्वर-751007, उडीशा, फोनः 0674-3269550 (UIN: 108)
7	**Calicut:** 4th Floor, V-Zone Commercial Complex, Mavoor Road, Parayancheri, Calicut - 673016, Kerala, Tel: 0495-6066700 (UIN: 109) **कालीकट:** चौथी मंज़िल, वी-ज़ोन कमर्शियल काम्पलेक्स, मवूर रोड, परायानचेरी, कालीकट - 673016, केरल, फोनः 0495-6066700 (UIN: 109)
8	**Chandigarh:** SCO No 3, First Floor, Above Bharatiya Mahila Bank, Sector 26, Madhya Marg Chandigarh -160019, Tel: 0172-4645599 (UIN: 110) **चंडीगढ:** एस.सी.ओ. नं. 3, पहली मंजिल, भारतीय महिला बैंक के ऊपर, सेक्टर 26, मध्य मार्ग चंडीगढ - 160019, फोनः 0172-4645599 (UIN: 110)
9	**Chennai:** 3D, "RIAZ Gardens", 3rd Floor, Door No.12 & 13, Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034,Tamil Nadu,Tel: 044-60660010 (UIN: 111) **चेन्नई:** 3 डी, "रियाज़ गार्डन्स", तीसरी मंजिल, डोर नं. 12 एवं 13, कोडमबक्कम हाई रोड, नुनगामबक्कम, चेन्नई - 600034, तमिलनाडु, फोनः 044-60660010 (UIN: 111)
10	**Coimbatore:** No.12, Manchester Square, T-2A, Third Floor, Puliyakulam Road, Papanaicken Palayam, Coimbatore - 641037,Tamil Nadu, Tel: 0422-4203234 (UIN: 112) **कोयम्बटूर:** नं. 12, मैनचेस्टर स्क्वेयर, टी-2ए, तीसरी मंज़िल, पुलियाकुलम रोड, पापनाइकेन, कोयम्बटूर-641037, तमिलनाडू, फोनः 0422-4203234 (UIN: 112)
11	**Dehradun:** Unit - F3, First Floor, Neelkanth Complex, 43, Rajpur Road, Dehradun - 248009, Uttarakhand, Tel: 0135-6555011 (UIN: 195) देहरादूनः यूनिट - एफ3, पहली मंज़िल, नीलकंठ कॉम्प्लैक्स, 43, राजपुर रोड, देहरादून- 248009, उत्तराखंड, फोनः 0135-6555011 (UIN: 195)
12	**Delhi:** C-31 & C-32,Ist Floor, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 011-49512300 (UIN: 124) **दिल्ली:** सी-31 & सी-32, पहली मंजिल, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, फोनः 011-49512300 (UIN: 124)
13	**Gurgaon:** Branch Operations, Unitech Trade Centre, 2nd Floor, C- Block, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, Tel: 0124-4535000 (UIN: 126) **गुड़गांव:** ब्रांच ऑपरेशन, यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुड़गाँव - 122009, हरियाणा, फोनः 0124-4535000 (UIN: 126)
14	**Guwahati:** Ganpati Enclave, 3rd Floor, Bora Service,G. S. Road,Guwahati - 781007, Assam, Tel: 0361-2465172 (UIN: 113) **गुवाहाटी:** गणपति इनक्लेव, तीसरी मंजिल, बोरा सर्विस, जी. एस. रोड़, गुवाहाटी - 781007, असम, फोनः 0361-2465172 (UIN: 113)
15	**Hubli:** 163/5D, 3rd Floor,Kalburgi Landmark,Opp. Girls High School, Deshpande Nagar,Near Circuit House, Hubli - 580029, Karnataka, Tel: 0836-3982198 (UIN: 114) **हुबली:** 163/5डी, तीसरी मंजिल, कालबुर्गी लैंडमार्क, गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, देशपांडे नगर, सर्किट हाउस के नजदीक, हुबली-580029, कर्नाटक, फोनः 0836-3982198 (UIN: 114)
16	**Hyderabad :** House No. 6-3-1107 &1108, 3rd Floor, Rajbhawan Road, Hyderabad - 500082, A.P. , Tel: 040-67223600 (UIN: 115) **हैदराबाद:** हाउस नं. 6-3-1107 & 1108, तीसरी मंजिल, राजभवन रोड़, हैदराबाद-500082, आ.प्र., फोनः 040-67223600 (UIN: 115)
17	**Jaipur:** 7th Floor "B", "G" Business Park, D-34, Subhash Marg, C-scheme, Jaipur- 302001, Rajasthan, Tel: 0141-4045985 (UIN: 116) **जयपुर:** 7वीं मंजिल "बी", "जी" बिज़नेस पार्क, डी-34, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान, फोनः 0141-4045985 (UIN: 116)
18	**Karnal:** SCO. 93, 1st Floor, Sector 7, Urban Estate, Karnal - 132001, Haryana, Tel: 0184-6534801 (UIN: 117) **करनाल:** एस.सी.ओ. 93, पहली मंज़िल, सैक्टर 7, अर्बन इस्टेट, करनाल - 132001, हरियाणा, फोनः 0184-6534801 (UIN: 117)
19	**Kolkata:** 21, Camac Street, Bells House, 6th Floor, Kolkata - 700016, W.B. , Tel: 033-39445500 (UIN: 118) **कोलकाता:** 21, कैमक स्ट्रीट, बेल्स हाउस, छठी मंजिल, कोलकाता - 700016, प.बं., फोनः 033-39445500 (UIN: 118)
20	**Lucknow:** 3rd Floor,Canara Bank Regional Office, Opp. Fun Republic, Behind RBI & NABARD,Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010, U.P. , Tel: 0522-3922601 (UIN: 119) **लखनऊ:** तीसरी मंजिल, केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, फन रिपब्लिक के सामने, आर.बी.आई & नार्बाद के पीछे, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उ.प्र., फोनः 0522-3922601 (UIN: 119)
21	**Ludhiana:** 2nd Floor, Plot No-4, New Lajpat Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana-141001, Punjab, Tel: 0161-6090991 (UIN: 120) **लुधियाना:** दूसरी मंजिल, प्लाट नं. 4, न्यू लाजपत नगर, पखोवाल रोड, लुधियाना-141001, पंजाब, फोनः 0161-6090991 (UIN: 120)
22	**Madurai:** ATP Tower, 4th Floor, 12/27A - By Pass Road, Madurai - 625 010, Tamil Nadu. , Tel: 0452-39445500 (UIN: 121) **मदुरई:** एटीपी टावर, चौथी मंजिल, 12/27ए - बाईपास रोड, मदुरई - 625010, तमिलनाडु, फोनः 0452-39445500 (UIN: 121)
23	**Mumbai :** 4th Floor, Unit No. 402, A Wing, Peninsula Towers, Peninsula Corporate Park, Ganpat Rao Kadam Marg, Off Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Maharashtra, Tel: 022-49267300 (UIN: 123) **मुम्बई:** चौथी मंजिल, यूनिट नं. 402, ए विंग, पेनिनसुला टॉवर्स, पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, ऑफ सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई - 400013, महाराष्ट्र, फोनः 022-49267300 (UIN: 123)
24	**Patna:** 2nd Floor, 202 - 206, Sisodia Palace, Near Gorakhnath Complex, East Boring Canal Road, Patna - 800001, Bihar, Tel: 0612-3918615 (UIN: 127) **पटना:** दूसरी मंजिल, 202 - 206, सिसोदिया पैलेस, गोरखनाथ कॉम्प्लैक्स के पास, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना - 800001, बिहार, फोनः 0612-3918615 (UIN: 127)
25	**Pune:** Unit no. 201, 2nd Floor, Pinnacle Building, S. No 31/2/1, North Main Road, Koregaon Park, Pune - 411001, Maharashtra, Tel: 020-65604317 (UIN: 128) **पूना:** यूनिट नं. 201, दूसरी मंजिल, पिनकल बिल्डिंग, एस. नं. 31/2/1, नॉर्थ मेन रोड़, कोरेगांव पार्क, पूना - 411001, महाराष्ट्र, फोनः 020-65604317 (UIN: 128)
26	**Trivandrum:** 2nd Floor, New Jyothi Towers, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Trivandrum - 695001, Kerala, Tel: 0471-6066700 (UIN: 129) **त्रिवेन्द्रम:** दूसरी मंज़िल, न्यू ज्योति टॉवर्स, एस.एस. कोविल रोड, थम्पानूर, त्रिवेन्द्रम - 695001, केरल, फोनः 0471-6066700 (UIN: 129)

*As on date of issuance of policy / बीमा जारी होने की तिथि को